



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2001/अग्रहायण 20, 1923

No. 615]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2001/AGRAHAYANA 20, 1923

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 892(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 96 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) “प्ररूप” से अनुसूची 2 में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “जनरल” से अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइनों के रजिस्टार द्वारा प्रकाशित अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल अभिप्रेत है;

(घ) “अभिन्यास डिजाइन संख्या” से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन की रजिस्ट्रीकरण संख्या अभिप्रेत है;

(ङ) “रजिस्ट्री” से अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

(च) “अनुसूची” से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) “धारा” से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

3. भारत में कारबार का मुख्य स्थान.—“भारत में कारबार का मुख्य स्थान” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(1) जहां कोई व्यक्ति अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का कारबार करता है, वहां—

(क) यदि कारबार भारत में केवल एक स्थान में किया जाता है तो, वह स्थान;

(ख) यदि कारबार भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है तो वह स्थान जिसका वह व्यक्ति भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करेगा;

(ii) जहाँ कोई व्यक्ति अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का कारबार नहीं कर रहा है, वहाँ—

(क) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार केवल एक स्थान में कर रहा है तो वह स्थान ;

(ख) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार एक से अधिक स्थानों में कर रहा है

तो वह स्थान जिसका वह भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करे ; और

(iii) जहाँ कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबार नहीं करता है, किंतु उसका भारत में निवास स्थान है, वहाँ भारत में ऐसा निवास स्थान ।

4. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय—
“अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय” अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 8 में विनिर्दिष्ट रूप में रजिस्ट्री का कार्यालय होगा और धारा 11 के अधीन परिशोधन के लिए अथवा अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए -

(क) रजिस्टर में किसी अभिन्यास डिजाइन के संबंध में, रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर,—

(i) ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत

स्थान स्वत्वधारी भारत में कारबार का मुख्य स्थान रखेगा ;

(ii) जहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान के बारे में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है, वहाँ ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है ;

(iii) संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों के मामले में, उस स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम ऐसी तारीख को भारत में ऐसे कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में सबसे पहले प्रविष्ट किया जाता है ;

(iv) जहां संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी को भी भारत में मुख्य स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट संयुक्त स्वत्वधारियों के भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है ;

(v) यदि अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की दशा में, अभिन्यास डिज़ाइन के संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है और रजिस्टर में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया गया है, तो रजिस्ट्री के कार्यालय का वह स्थान जहां अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था, स्थित है : और

(ज) उस अभिन्यास डिज़ाइन के संबंध में जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन लम्बित है, रजिस्ट्री का वह कार्यालय जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर -

(i) आवेदक के आवेदन में प्रकट किए गए रूप में आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान या संयुक्त आवेदकों के द्वारा उक्त कारबार का भारत में कारबार का स्थान स्थित है, जिसका नाम ऐसे कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में सबसे पहले उल्लिखित है

(ii) जहां यथास्थिति न तो आवेदक का और न संयुक्त आवेदकों में से किसी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, आवेदन में यथास्थिति वि भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है

काल के लिए पते में परिवर्तन का कारण समुचित

न होना

डिज़ाइन के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों के या

कारबार का मुख्य स्थान या

कार्यालय की अधिकारिता में परिव

(क) रजिस्टर में किसी अभिन्यास

के या संयुक्त रजिस्ट्रीकृत

यथास्थिति, भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, किसी परिवर्तन से रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. रजिस्टर में समुचित कार्यालय की प्रविष्टि - प्रत्येक अभिन्यास डिजाइन के संबंध में रजिस्ट्रार रजिस्टर में अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की प्रविष्टि कराएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा ।

किसी अभिन्यास डिजाइन के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन लम्बित है, अधीनयम या नियमों द्वारा प्रीधकृत या अपेक्षित सभी आवेदन रजिस्ट्रार के समुचित कार्यालय में किए जाएंगे, सूचनाओं की तामील वहां की जाएगी, विवरण या अन्य दस्तावेज वहां दिए या भेजे जाएंगे, या फीस का संदाय वहां किया जाएगा।

(2) ऐसे दस्तावेज या फीस, जो भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित है या तो रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय या मुख्यालय को निम्नलिखित विषयों के संबंध में भेजे जा सकेंगे या संदत्त की जा सकेगी:

(कि) विकास अभिन्यास डिजिटल के राजस्ट्रुक्चरिंग क लिए फाइल किए गए। इसा।

आपके जन्म के समय तक में संतान प्रतीति ७३२२ उपलब्ध है। प्रतीति ७३२२ का अर्थ है, आपका जीवन ७३२२

अडि- 20, अडि- 21, अडि- 22, अडि-

25. 31 पर आवेदन या निवेदन ।

8. समुचित कार्यालय में फाइल न किए गए या न छोड़े गए दस्तावेज आदि - नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना, विवरण या अन्य दस्तावेज या कोई फीस किसी ऐसे कार्यालय में, जो रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय नहीं है, किया गया है, उसकी तामिल की गई है वहां उसे छोड़ा या भेजा गया है या उसका संदाय किया गया है, वहां रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन, सूचना

निताशा गगनद्वयतेजः यः तस्मिन्को संतरिदुःखरक्तिः को जायते अरुदेव

9. सूचनाओं आदि का जारी करना- अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन कार्यवाही से संबंधित कोई सूचना या संसूचना सामान्यतः रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में जारी की जाएगी किंतु ऐसा न होने पर भी वह रजिस्ट्री के किसी कार्यालय से जारी की जा सकती है।

10. फीस: (1) अधिनियम और नियमों के अधीन आवेदनों, विरोध की सूचनाओं, रजिस्ट्रार और अन्य विषयों के संबंध में दी जाने वाली फीसों में होगी जो प्रथम है, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “विहित फीस” कहा गया है।

(2) जहां किसी विषय के संबंध में नियमों के अधीन किसी फीस का वहन उसके लिए प्रारूप या आवेदन या निवेदन या याचिका विहित जाएगी।

(3) फीस का संदाय नकद या रजिस्ट्रार को संबोधित मनीआर्डर द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक ड्राफ्ट या ऐसे बैंक के नाम लिखे गए औ

बैंक द्वारा या राजस्वर के देवकानुसार ऐसा बैंक के नीम प्रत्याभूत न हो, किया जा सकेगा और यदि उसे डाक द्वारा कर दिया गया समझा जाएगा जब मनीआर्डर या उचित महसूल दिया गया है और जिसमें पोस्टल आर्डर या बैंक अनुक्रम में परिदत्त कर दिया जाएगा ।

(4) पोस्टल ऑर्डर क्रास होगा और वह रजिस्ट्री के पास होगा और इसी प्रकार बैंक ड्राफ्ट और चेक क्रास होंगे और ऐसे स्थान के अनुसूचित बैंक के नाम में होंगे जहां रजिस्ट्री

(5) जहां कोई दस्तावेज फाइल करने के संबंध में कोई फीस देय है वहां वह तारीख, जिसको समस्त फीस दी जाती है, दस्तावेज फाइल करने की तारीख समझी जाएगी।

(6) जहां किसी पक्षकार द्वारा दी गई फीस के वापस किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिया जाता है वहां फीस की रकम कमीशन में काट कर मनीआर्डर द्वारा वापस कर दी जाएगी।

11. प्ररूप - (1) द्वितीय और तृतीय अनुसूची में दिए गए प्ररूपों का उन सभी मामलों में उपयोग किया जाएगा जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य मामलों की पूर्ति के लिए उनमें रजिस्ट्रार के निदेशानुसार उपान्तरण किए जा सकेंगे।

(2) जब कोई प्ररूप रजिस्ट्री में फाइल किया जाएगा तब उसके साथ विहित फीस होगी।

12. दस्तावेज का आकार आदि - (1) किन्हीं अन्य निदेशों के, जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए, वे सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण या अन्य दस्तावेज, जो रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार के पास या अपील बोर्ड को किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, 33 सेंटीमीटर लम्बाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई के मज़बूत कागज़ पर, शपथपत्र के मामले को छोड़कर एक ओर गहरी अमिट स्याही में बड़े बड़े सुपाठ्य अक्षरों में अंग्रेजी या हिन्दी में लिखे जाएंगे, टाइप किए जाएंगे या मुद्रित किए जाएंगे और कागज़ में बाईं ओर कम से कम चार सेंटीमीटर का हाशिया होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार, किसी समय अपेक्षा करता है तो दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां, जिनके अन्तर्गत अभिन्यास डजाइन भी हैं, रजिस्ट्री में फाइल की जाएंगी।

13. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर - (1) किसी ऐसे दस्तावेज पर जो भागीदारी द्वारा हस्ताक्षरित किए

जाने के लिए तात्पर्यित है भागीदारों में से कम से कम एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे -

और ऐसे दस्तावेज पर जो निगम निकाय द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित है -

किसी निगम निकाय के निदेशक द्वारा या सचिव द्वारा या अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह हैसियत जिसमें कोई व्यक्ति भागीदारी या निगमित निकाय की ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, उसके हस्ताक्षर के नीचे उल्लिखित की जाएगी।

(2) यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर दोस्त से भिन्न लिपि में किए जाते हैं या दो अलग-अलग

हस्ताक्षरों के साथ हस्ताक्षरों से उनका लिप्यांतरण होय।

14. दस्तावेजों की तामील—(1) रूपण चिपके हुए सभी आवेदन, सूचनाएँ, विवरण, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज जो रजिस्ट्री को या रजिस्ट्रार को या अपील बोर्ड को किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, डाक से ऐसे पत्र द्वारा भेजे जा सकेंगे जिसके लिए डाक महसूल दे दिया गया है ;

(2) इस प्रकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई दस्तावेज उस समय किया गया तामील किया

गया व छोड़ दिया गया या भेज दिया गया समझा जाएगा जब वह पत्र जिसमें वह आवेदन या दस्तावेज है, डाक से साधारण अनुक्रम में पारदत्त किया गया हो।

(3) भेजा गया पत्र, या पत्र, करने में गड़बड़ावित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर सचिव रूप से पता लिख कर उसे डाक में डाल दिया गया था ।

15. आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पते आदि की विशिष्टियाँ—(1) आवेदकों और

व्यक्तियों के पूरे नाम और पते दिए जाएंगे और उसके साथ उनकी राष्ट्रीयता और और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होंगी जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक है ।

(2) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रत्येक भागीदार के पूरे नाम और राष्ट्रीयता का किया जाएगा ।

(3) विदेशी आवेदकों और भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान न रखने वाले व्य की दशा में, उनके अपने देश में उनके पते भारत में तामील के लिए उनके अतिरिक्त दिए जाएंगे ।

(4) किसी निगम निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन देश या रजिस्ट्र की प्रकृति दी जाएगी ।

16. किसी आवेदन में भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कथन—(1) अभिन्यास डि

के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में आवेदक के भारत में कारबार के मुख्य का, यदि कोई हो, या संयुक्त आवेदकों की दशा में, संयुक्त आवेदकों में से ऐसे आ के जिनका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, ऐसे कारबार के मुख्य स्थान का र

किया जाएगा ।

(2) नियम 17, 18 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी अभिन्यास डिजाइन के

रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी आवेदक को, संयुक्त आवेदकों को दशा में किसी संयुक्त आवेदक को आवेदन में उसके द्वारा दिए गए उसके भारत में कारबार के मुख्य स्थान के

पते पर कोई लिखित संसूचना सम्बंधित की जाती है तो वह उचित रूप से सम्बंधित की गई समझी जाएगी।

17. तामील के लिए पता-(1) भारत में तामील के लिए पता -

(क) अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदक द्वारा दिया जाएगा, जिसका भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है ;

(ख) किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों की दशा में, यदि उनमें से किसी का भी भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा ;

(ग) अभिन्यास डिजाइन के ऐसे स्वत्वधारी द्वारा, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को भारत में अपना कारबार का मुख्य स्थान था किन्तु पश्चात्तवर्ती उसका ऐसा स्थान नहीं रहा है, दिया जाएगा, और

(घ) प्रत्येक आवेदक द्वारा अधिनियम या नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में और विरोध की सूचना फाइल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को भारत में तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर पूर्वोक्त रूप से लिखित संसूचना सम्बंधित की जाती है तो वह उचित रूप से सम्बंधित की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उपनियम (1) में अपेक्षित रूप में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है तब तक रजिस्ट्रार अधिनियम या नियमों के द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और कांयवाहियों में कोई पश्चात्तवर्ती आदेश या विनिश्चय इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि सूचना की तामील में कोई कमी थी या उसकी तामील नहीं की गई थी।

18. आवेदन और विरोध संबंधी कार्यवाहियों में तामील के लिए पता - अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदक या विरोध की सूचना फाइल करने वाला कोई विरोधकर्ता इस बात के होते हुए भी कि उसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, रजिस्ट्रार को यदि वह ऐसा चाहे तो भारत में ऐसा पता दे सकेगा जिस पर वह आवेदन या विरोध संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में संसूचना भेजी जा सकेंगी। आवेदक या विरोधकर्ता का ऐसा पता

जब तक कि बाद में रद्द नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी का वास्तविक पता होगा और आवेदन अथवा विरोध की सूचना से संबंधित सभी संसूचनाओं और दस्तावेजों की तामील, यथास्थिति, आवेदक या विरोधी के ऐसे पते पर उन्हें परित्त करके या डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी।

19. तामील के लिए पते का अनुपलभ्यता - जब को रजिस्टर में प्रविष्ट भारत में तामील के लिए किसी पते की लगातार निरंतर उपलभ्यता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो वह किसी भी समय उस व्यक्ति को जिसकी बाबत वह पता प्रविष्ट है, रजिस्टर में प्रविष्ट किसी अन्य पते पर अथवा यदि रजिस्टर में कोई ऐसा पता प्रविष्ट नहीं है तो ऐसे पते पर, जिसे रजिस्ट्रार यह समझता है कि उस पते पर पत्र उसके पास पहुंच जाएगा, पत्र डालकर उससे भारत में तामील के लिए पते की पुष्टि करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि अनुरोध करने के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार को ऐसी कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो वह भारत में तामील के लिए पते को रजिस्टर से काट सकेगा और ऐसे व्यक्ति से भारत में तामील के लिए नया पता, या यदि उस समय उसका भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कोई पता है तो वह पता, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

20. अभिकर्ण-(1) धारा 84 के प्रयाजना के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकार प्ररूप अ0डि0-32 में या ऐसे अन्य लिखित रूप में, जिसे रजिस्ट्रार पर्याप्त और उचित समझे, निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकार की दशा में कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील, उस इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी, ; कार्यवाही या मामले की बाबत ऐसे व्यक्ति को की जाने के लिए निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं, ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जाएंगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष उनसे संबंधित सब उपसंजाति ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी मार्फत की जा सकेंगी।

(3) किसी विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधकर्ता, स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है।

21. अभिन्यास डिजाइन के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह :- धारा 78 की उपधारा

(1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह का आवेदन विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि.21 में किया जाएगा।

अध्याय 2

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

22. आवेदन का प्ररूप और हस्ताक्षर करना—(1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रार को आवेदन विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि.-1 में किया जाएगा और आवेदन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक के तीन सेट, जो अभिन्यास डिजाइन का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, संलग्न किए जाएंगे। रेखाचित्र या फोटो का आकार ऐसे अभिन्यास डिजाइन के उपयोग करने के लिए गढ़े गए अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ के आकार से 20 गुने से कम नहीं होगा, अर्थात् :-

(क) तैयार किए गए रेखाचित्रों के साथ एक आलेख जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित अभिन्यास डिजाइन का वर्णन करता है के तीन सेट ; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित अभिन्यास डिजाइन का उपयोग करके

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ के गढ़ने के लिए प्रयुक्त मुखोटों या रेखाचित्र जो ऐसे मुखोटों का पैटर्न का वर्णन करते हैं, के तीन सेट।

(3) यदि अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक अभिन्यास डिजाइन की गोपनीयता, बनाए रखने के लिए लिखित में अनुरोध करता है, तो वह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट

रेखाचित्रों या फोटो के स्थान पर रजिस्ट्रार के समाधान के लिए ऐसे अभिन्यास डिजाइन के

आंशिक रूप से विभाजित रेखाचित्रों या फोटो के तीन सेट संलग्न करेगा। रजिस्ट्रार ऐसे

अभिन्यास डिजाइन के संपूर्ण रेखाचित्र या फोटो का निरीक्षण कर सकेगा। ऐसे रेखाचित्र या

फोटो का विभाजन रजिस्ट्रार के ऐसे समाधान के लिए होया जिससे कि वह आवेदित अभिन्यास

डिजाइन का पहचान का गुंफसान नही पहुँचोता है। एतत् रेखाचित्र या फोटो का विभाजन मात्र

अभिन्यास डिजाइन के संपूर्ण रेखाचित्र या फोटो का निरीक्षण कर सकेगा।

23. परादेशीय देशों के अधीन आवेदन—यदि अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के

लिए जिसके लिए किसी कवेंशन देश में आवेदन किया गया है के कारण से धारा 93 के अधीन

पूर्विकता का दावा करने वाले प्रत्येक आवेदन में इस धारा के अधीन इस प्रकार घोषित देश का नाम होगा उस आवेदन की तारीख का कथन करेगा और आवेदक उस देश के रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रार के समाधान के लिए वहां किए गए आवेदन को अन्यथा सत्यापित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रक्रिया

24. आवेदन की अभिस्वीकृति या रसीद- किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार द्वारा अभिस्वीकृति की जाएगी । अभिस्वीकृति प्ररूप अ.डि. -1 में आवेदन की एक प्रति को लौटा कर की जाएगी उस आवेदन के शासकीय संख्यांक की सम्यक रूप से प्रविष्टि होगी ।

25. प्रतिग्रहण के प्रति आक्षेप और सुनवाई- (1) आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि उपयोग की या मौलिकता की या किसी अन्य विषय की कोई साक्ष्य, जिसकी आवेदक से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी आवेदन के प्रतिग्रहण के प्रति रजिस्ट्रार कोई आक्षेप करता है या कोई ऐसे संशोधनों या उपांतरणों के अधीन स्वीकार करने की प्रस्थापना करता है जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, रजिस्ट्रार ऐसे आक्षेप या प्रस्ताव को आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा ।

(2) यदि उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर आवेदक पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार आवेदन को संशोधित नहीं करता है या रजिस्ट्रार को उसके विचार प्रस्तुत नहीं करता है या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है तो आवेदन का परित्याग किया जाना समझा जाएगा ।

26. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के वापस लेने की सूचना- आवेदन के फाइल करने के संबंध में संदत्त किसी फीस का प्रतिसंदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को वापस लेने की सूचना नियम 25 के उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर लिखित में दी जाएगी ।

27. रजिस्ट्रार का विनिश्चय-(1) रजिस्ट्रार ने जो विनिश्चय नियम 25 के अधीन या नियम 29 के अधीन सुनवाई करने के पश्चात् या उस दशा में सुनवाई बिना जिसमें कि आवेदक ने

पूर्विकता का दावा करने वाले प्रत्येक आवेदन में इस धारा के अधीन इस प्रकार घोषित देश का नाम होगा उस आवेदन की तारीख का कथन करेगा और आवेदक उस देश के रजिस्ट्रार या अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रार के समाधान के लिए वहां किए गए आवेदन को अन्यथा सत्यापित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रक्रिया

24. आवेदन की अभिरक्षीकृति या रसीद- किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार द्वारा अभिरक्षीकृति की जाएगी । अभिरक्षीकृति प्ररूप अ.डि. -1 में आवेदन की एक प्रति को लौटा कर की जाएगी उस आवेदन के शासकीय संख्यांक की सम्यक रूप से प्रविष्टि होगी ।

25. प्रतिग्रहण के प्रति आक्षेप और सुनवाई- (1) आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि उपयोग की या मौलिकता की या किसी अन्य विषय की कोई साक्ष्य, जिसकी आवेदक से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी आवेदन के प्रतिग्रहण के प्रति रजिस्ट्रार कोई आक्षेप करता है या कोई ऐसे संशोधनों या उपांतरणों के अधीन स्वीकार करने की प्रस्थापना करता है जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, रजिस्ट्रार ऐसे आक्षेप या प्रस्ताव को आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा ।

(2) यदि उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर आवेदक पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार आवेदन को संशोधित नहीं करता है या रजिस्ट्रार को उसके विचार प्रस्तुत नहीं करता है या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है तो आवेदन का परित्याग किया जाना समझा जाएगा ।

26. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के वापस लेने की सूचना- आवेदन के फाइल करने के संबंध में संदत्त किसी फीस का प्रतिसंदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को वापस लेने की सूचना नियम 25 के उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर लिखित में दी जाएगी ।

27. रजिस्ट्रार का विनिश्चय-(1) रजिस्ट्रार ने जो विनिश्चय नियम 25 के अधीन या नियम 29 के अधीन सुनवाई करने के पश्चात् या उस दशा में सुनवाई बिना जिसमें कि आवेदक ने

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से अपने आवेदन का संशोधन उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की तारीख से दो मास के भीतर या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के स्वीकार करने की बाबत यह समझा

रजिस्ट्रार ने उसे वापस ले लिया है और आवेदन की बाबत ऐसी कार्यवाही की जायेगी मानो कि उस स्वीकार नहीं किया गया हो।

जायेगा कि रजिस्ट्रार

जायेगी मानो कि

रजिस्ट्रार को आवेदक उपनियम (2) में वर्णित कालावधि के भीतर यह बात

(3) जहां कि

यह इच्छा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस

प्रज्ञापित करता है कि मेरी

सको रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। जब तक कि आवेदक इससे

तारीख की सूचना देगा जि

लिए सम्मत न हो जाये, ऐसी सुनवाई की तारीख सूचना की तारीख

अल्पकाल वाली सूचना के 1

माद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी

से कम से कम पन्द्रह दिन व

ही चाहता और वह वे बातें पेश कर सकेगा जिन्हें कि वह वांछनीय

वैयक्तिक सुनवाई कराना न

समझता है।

वेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक ने कोई बातें उसके समक्ष

(4) रजिस्ट्रार आ

पेश कर चुके पश्चात् उसे आदेश पेश करेगा जिसके

प्रमाण रजिस्ट्रार को देना होगा

वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की बाबत

30. विज्ञापन की रीति-अभिन्यास

के अधीन यह विज्ञापित की जाए या उस धारा की उपधारा

यह अपेक्षा धारा 10 की उपधारा (1)

जाए वह जर्नल में विज्ञापित की जाएगी। विज्ञापन में

(2) के अधीन पुनः विज्ञापित की

रिति :-

निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अथ

के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के अभिग्रहण की

(i) आवेदन संख्यांक ;

(ii) अभिन्यास डिजाइन

तारीख

नाम और पता जो आवेदन में दिया गया है ;

(iii) उस स्वत्वधारी का

आमन्यास डिजाइन का साक्ष्य अभिग्रहण ;

(iv)

(v) क्या उस अभिन्यास डिजाइन का वाणिज्यिक रूप से समुपयोजन किया गया है

यदि ऐसा है तो ऐसे समुपयोजन की अवधि ;

(vi) रजिस्ट्रार के कार्यालय का पता जहां आवेदन फाइल किया गया है ।

31. आवेदन में शुद्धि का संशोधन करने की अधिसूचना-ऐसे किसी आवेदन की दशा में,

जिसे धारा 10 की उपधारा (2) का खंड (ख) लागू होता है, रजिस्ट्रार, यदि वह ऐसा विनिश्चय

पुनः विज्ञापित कराने के बदले आवेदन की संख्या, आवेदक का नाम
भारत में मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, या जहां आवेदक का कोई
य स्थान नहीं है वहां भारत में तामील के लिए उसका पता और आवेदन
संशोधन उपवर्णित करने वाली एक अधिसूचना जर्नल अन्तःस्थापित कर

करता है तो आवेदन को
और उसके कारबार का
कारबार का भारत में मुख
में की गई शुद्धि या संश
सकेगा ।

के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन- प्ररूप

रजिस्ट्रार से यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार जर्नल की उस

की जानकारी दे जिसमें प्ररूप में विनिर्दिष्ट उस अभिन्यास डिजाइन का

वाले व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा ।

32. अभिन्यास डिजाइन

अ.डि.-31 में कोई व्यक्ति

संख्या, तारीख और पृष्ठ

विज्ञापन हुआ था और रजिस्ट्रार निवेदन करने

रजिस्ट्रीक

रण का विरोध

उपधारा (1) के अधीन अभिन्यास डिजाइन के

में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के यथास्थिति

मास के भीतर विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि.-

के अंतर्गत उन आधारों का कथन होगा जिनपर

33. विरोध की सूचना-(1) धारा 11 के

रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना जर्नल

विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से तीन

2 में तीन प्रतियों में दी जाएगी । इस सूचना

विरोधी रजिस्ट्रीकरण पर आपत्ति करता है ।

डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना दी जा

फीस के साथ प्ररूप अ.डि.-30 में किया जाएगा ।

क मास से अधिक नहीं होगी ।

(2) जिस कालाविधि के भीतर अभिन्यास डिज

सकेगी उसे बढ़ाने के लिए आवेदन विहित प

विस्तार की ऐसी कालाविधि कुल मिलाकर एक

की अपेक्षानुसार प्रतिकथन विरोध की सूचना की

के भीतर विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि.-3 में

34. प्रतिकथन- धारा 11 की उपधारा (2)

प्रति के आवेदक द्वारा प्राप्त होने से दो मास

तीन प्रतियों में भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अभिकथित वे तथ्य यदि कोई हो, कौन से हैं जिन्हें आवेदक ने स्वीकारोत्क कर लिया है। रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर कराएगा।

35. विरोध के समर्थन में साक्ष्य - (1) रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिकथन की प्रति की तामील विरोधी पर जिस दिन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर विरोधी या तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा साक्ष्य

साक्ष्य पत्र द्वारा देगा जैसा कि वह अपने विरोध के समर्थन में देना चाहता है या रजिस्ट्रार को और आवेदक को यह लिखित प्रज्ञापन देगा कि मैं अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह आशय है कि विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य की प्रतियाँ देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रार के पास इस उपनियम के अधीन दिया है।

(2) यदि विरोधी उपनियम (1) के अधीन उसमें विहित समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निर्देश न दे यह समझा जाएगा कि विरोधी ने अपने विरोध का परित्याग कर दिया है।

36. आवेदन के समर्थन में साक्ष्य- आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समर्थन में शपथ पत्रों की प्रतियाँ अपने को मिलने से या अपने को यह प्रज्ञापना मिलने से, कि विरोधी अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, दो मास के भीतर देगा जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियाँ वह विरोधी

को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोधी को वह यह प्रज्ञापना देगा कि मैं कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, किंतु मेरा यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का और या प्रश्नास्पद आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश कर दिए गए साक्ष्य का सहारा लूंगा। उस अवस्था में, जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश किये जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियाँ विरोधी को देगा।

37. विरोधी द्वारा उत्तर में साक्ष्य- विरोधी उत्तर में रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य, तब से एक मास के भीतर जब उसे आवेदक के शपथ पत्रों की प्रतियाँ मिली हों, दे सकेगा और उसकी प्रतियाँ आवेदक को देगा। वह साक्ष्य केवल उत्तरापेक्षी बातों तक ही सीमित रहेगा।

38. अपर साक्ष्य- कोई अपर साक्ष्य देने का अधिकार किसी पक्षकार को प्राप्त न होगा, किंतु रजिस्ट्रार अपने समक्ष वाली किन्हीं कार्यवाहियों में किसी समय उस दशा में, जिसमें कि वह ठीक समझे, कोई साक्ष्य देने की इजाजत आवेदक को या विरोधी को ऐसे खर्च संबंधी निर्बंधनों या अन्य निबन्धनों पर दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

39. प्रदर्श - जहां कि विरोध में फाइल किये गये शपथ पत्रों के साथ प्रदर्श हैं, वहां प्रत्येक

प्रदर्श की एक प्रत या छाप अन्य पक्षकार की उसके निवेदन पर और उसके व्यय पर भेजी जाएगी, या उस अवस्था में, जिसमें कि ऐसी प्रतियां सुविधापूर्वक नहीं दी जा सकती, मूल प्रतियां रजिस्ट्रार के पास निरीक्षणार्थ छोड़ी जा सकेंगी। जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे, मूल प्रदर्श सुनवाई के अवसर पर पेश किए जाएंगे।

40. दस्तावेजों का अनुवाद- जहां कि हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा वाली किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में, प्रतिकथन में या विरोध कार्यवाहियों में फाइल किए गए शपथ पत्र में किया गया है वहां हिंदी या अंग्रेजी में उसके अभिप्रमाणित अनुवाद की दो प्रतियां दी जाएंगी।

41. सुनवाई और विनिश्चय: (1) रजिस्ट्रार साक्ष्य यदि कोई हो पूरा होने पर पक्षकारों को उस तारीख की सूचना देगा जब वह मामले में बहस सुनेगा। इस प्रकार की तारीख सूचना की तारीख के बाद कम से कम एक मास की होगी जब तक कि पक्षकार किसी कम समय की सूचना पर सहमत न हो जाए। सूचना की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर ऐसा पक्षकार जो हाजिर होना चाहता है, रजिस्ट्रार को विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि. 4 में इस प्रकार अधिसूचित करेगा। ऐसा कोई पक्षकार जो पूर्वोक्त अंतिम समय के भीतर रजिस्ट्रार को इस प्रकार अधिसूचित नहीं करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह सुनवाई नहीं चाहता और रजिस्ट्रार तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार का विनिश्चय पक्षकारों को लिखित में अधिसूचित किया जाएगा।

42. खर्चों के लिए प्रतिभूति - खर्चों के लिए प्रतिभूति जिसकी रजिस्ट्रार धारा 11 की सहायता
(6) के अधीन अपेक्षा करे, ऐसी किसी रकम पर नियत की जा सकेगी जो वह उचित समझे और ऐसी किसी रकम को उसके द्वारा विरोध की कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर और बढ़ाया जा सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण पूरा न होने की सूचना

43. सूचना देने की प्रक्रिया - वह सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार से धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा किसी आवेदक को दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, वह आवेदक को भारत में कारबार के उसके मुख्य स्थान के पते पर पत्र पत्र 1 में भेजी जाएगी या यदि भारत में उसके

कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है तो आवेदन में दिए गए भारत में तामील के लिए पते पर भेजी जाएगी किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत कर दिया हो तो सूचना अभिकर्ता को भेजी जाएगी और उसकी दूसरी प्रति आवेदक को भेजी जाएगी। सूचना में रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए सूचना की तारीख से दक्कीस दिन का समय या ऐसा और समय जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करें, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण

44. रजिस्ट्रार में प्रविष्टि (1) रजिस्ट्रार अभिन्यास-डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के जर्नल में, यथास्थिति, विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार में अभिन्यास-डिजाइन की प्रविष्टि करेगा।

(2) रजिस्ट्रार में अभिन्यास-डिजाइन की प्रविष्टि में ऐसे अभिन्यास-डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है -

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अभिन्यास-डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम, पता और राष्ट्रधारा

(ग) रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार अभिन्यास-डिजाइन के धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार

की अवधि और

संयुक्त रूप से समुपयोजन किया गया है, इस समुपयोजन

समुपयोजन का स्थान;

(घ) वह रजिस्ट्री कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध फाइल किया गया था;

(ड) अभिन्यास-डिजाइन के स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई

हो या संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन अभिन्यास-डिजाइन की दशा में, अभिन्यास-डिजाइन के संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी ऐसे स्वत्वधारी का पता जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है ;

स-डिजाइन क स्वत्वधारी का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान नहीं है
के लिए आवेदन में प्रविष्ट किए गए भारत में तामील के लिए उसका पता
उसका पता

जिसमें अभिन्यास-डिजाइन संयुक्त स्वामित्व के अधीन है, और जहां संयुक्त
से किसी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है वहां संयुक्त
से प्रत्येक के अपने स्वदेश में पते के साथ आवेदन में दिया गया भारत में
।

से पूर्व आवेदक की मृत्यु - किसी अभिन्यास-डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के
की उसके आवेदन की तारीख के पश्चात् और अभिन्यास-डिजाइन के
के जाने से पूर्व मृत्यु की दशा में, रजिस्ट्रार आवेदक की मृत्यु के सबूत पर
हित के पारेषण के सबूत पर आवेदन में ऐसे मृत आवेदक के नाम के
तत्त्वधारी को प्रतिस्थापित कर सकेगा और इस प्रकार संशोधन किए
पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रमाणपत्र - (1) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जारी
अभिन्यास-डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसे उपांतरणों सहित जो
स्थितियों में अपेक्षित हो, प्ररूप पु. अ. डि. -2 में होगा ।

रीकृत स्वत्वधारी द्वारा विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि. 25 में किए गए
प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या और प्रतियां जारी कर सकेगा जो रजिस्ट्रार
।

अध्याय 3

समनुदेशन और हस्तांतरण

षण की प्रविष्टि के लिए आवेदन: - जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत
हस्तांतर समनुदेशन या पारेषण द्वारा बना जाता है, उस व्यक्ति
के लिए आवेदन विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि. - 10 या
इस बात के अनुसार किया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा
या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के साथ मिलकर किया जाता है ।

(च) जहां अभिन्यास-
वहां रजिस्ट्रीकरण
तथा उसके देश में

(छ) उस दशा में जिसमें
स्वामित्वाधारियों में
स्वामित्वाधारियों में
तामील के लिए पता

45. रजिस्ट्रीकरण
लिए किसी आवेदक
रजिस्टर में प्रविष्टि
और मृत व्यक्ति के
स्थान पर उसके हि
जाने के बाद आवेदन

46. रजिस्ट्रीकरण
किए जाने वाले अ
किसी मामले की परि

(2) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार
अनुरोध पर रजिस्ट्रीकरण
में प्रविष्टि की प्रति होंगी

47. समनुदेशन या पारेषण
अभिन्यास-डिजाइन का
के हक रजिस्ट्रीकरण
प्ररूप अ. डि. - 11 में
अकेले किया जाता है

48. वे विशिष्टियाँ, जिनका आवेदन में कथन किया जाएगा - नियम 47 के अधीन आवेदन में उस लिखत की, यदि कोई हो, पूरी विशिष्टियाँ होंगी जिसके अधीन आवेदन या संयुक्त आवेदन की दशा में, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न व्यक्ति अभिन्यास - डिजाइन का हकदार होने का दावा करता है, और ऐसी लिखत या उसकी सम्यक रूपेण प्रमाणित प्रति आवेदन करने के समय रजिस्ट्री कार्यालय में निरीक्षण के लिए पेश की जाएगी। रजिस्ट्रार हक के सबूत में निरीक्षण के लिए पेश की गई किसी लिखत की प्रमाणित प्रति की अपेक्षा कर सकेगा और उसे प्रतिधारित कर सकेगा, किन्तु ऐसी प्रति सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुली नहीं रखी जाएगी।

49. आवेदन के साथ मामले का कथन भेजा जाना - जहाँ नियम 47 के अधीन अपने हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी किसी दस्तावेज या लिखत के अधीन जो स्वयं उसके हक का सबूत देने के लिए सक्षम है अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता है वहाँ, जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश नहीं दे, वह या तो स्वयं आवेदन में या उसके साथ मामले का ऐसा कथन देगा जिसमें उन तथ्यों की पूर्ण विशिष्टियाँ दी जाएंगी जिन पर अभिन्यास - डिजाइन का स्वत्वधारी होने का उसका दावा आधारित है और जिससे यह दर्शित होता है कि अभिन्यास - डिजाइन समनुदेशित या पारेषित की गई है। यदि रजिस्ट्रार ऐसी अपेक्षा करता है तो उक्त कथन को प्रारूप अ. डि. - 7 में शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

50. हक का सबूत - रजिस्ट्रार ऐसे किसी व्यक्ति से जो रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आवेदन करता है हक का ऐसा सबूत या अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए जैसा वह अपने समाधान के लिए अपेक्षा करें, कह सकेगा।

51. लिखतों का परिवद्ध किया जाना - यदि रजिस्ट्रार की राय में, किसी व्यक्ति के हक के सबूत में पेश की गई कोई लिखत उचित रूप से या पर्याप्त रूप से स्ताम्बित नहीं है तो रजिस्ट्रार उसे परिवद्ध कर देगा और उस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, के अध्याय 4 द्वारा उपबंध रीति से कार्रवाई करेगा।

52. भारत से बाहर धन को पारेषण करने वाला समनुदेशन - यदि भारत से बाहर धन के पारेषण को विनियमित करने वाली कोई विधि प्रवर्तन में है तो रजिस्ट्रार उस व्यक्ति के हक को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा जो ऐसे समनुदेशन द्वारा अभिन्यास-डिजाइन के

ऐसे पारेषण के लिए ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुज्ञा प्रस्तुत करने पर ही हकदार बनता है जिसमें ऐसा पारेषण अंतर्बलित है।

53. अभिन्यास - डिजाइन के कारबार के गुडविल के बिना समनुदेशन के विज्ञापन के लिए रजिस्ट्रार के निदेश के लिए आवेदन - (1) धारा 22 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि. 8 में किया जाएगा और उसमें वह तारीख दी जाएगी जिसको समनुदेशन किया गया था। आवेदन में रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास - डिजाइन के उपयोगकर्ता सहित रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास - डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां दी जाएंगी। रजिस्ट्रार किसी साक्ष्य या और सूचना की मांग कर सकेगा और यदि विभिन्न विषयों की बाबत उसका समाधान हो जाता है तो वह समनुदेशन के विज्ञापन की बाबत लिखत में निदेश जारी करेगा।

(2) उस अवधि के विस्तार के लिए जिसके भीतर उपनियम (1) में वर्णित आवेदन किया जा सकेगा, अनुरोध विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि. - 9 में होगा।

54. गुडविल के बिना समनुदेशन की प्रविष्टि के लिए आवेदन - अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन की बाबत नियम 47 के अधीन आवेदन में यह कथन होगा कि --

(क) उक्त अभिन्यास डिजाइन का उपयोग कारबार में किया जा चुका था या किया गया था अथवा नहीं, और

(ख) क्या उक्त समनुदेशन उस कारबार के गुडविल के संबंध में से अन्यथा किसी बारे में किया गया था,

और यदि वे दोनों परिस्थितियां विद्यमान हैं तब आवेदक उस समनुदेशन का विज्ञापन करने के लिए उन निदेशों की प्रति जो नियम 53 के अधीन आवेदन पर अभिप्राप्त किए गए थे, उनकी एक प्रति और विज्ञापन की प्रतियों सहित ऐसा सबूत या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार अपेक्षा करें, रजिस्ट्री कार्यालय में यह दर्शित करने के लिए छोड़ देगा कि रजिस्ट्रार के निदेशों का पालन किया गया है और यदि रजिस्ट्रार का समाधान नहीं होता है कि उन निदेशों का पालन किया गया है तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा।

अध्याय 4

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता

55. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास- डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति

के धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन उस व्यक्ति द्वारा और अभिन्यास-डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा संयुक्त रूप से विहित फीस के साथ - प्ररूप - अ. - डि. - 13 में किया जाएगा और उस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें भी होंगी ।

(क) अभिन्यास-डिजाइन के अनुज्ञात उपयोग की बाबत रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के बीच किया गया लिखित करार या उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट करार में वर्णित दस्तावेजें और पत्राचार, यदि कोई हो, या उनकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां ;

(ग) उस कीमत के संबंध में जिस पर रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन को सम्मिलित करने वाला अर्द्धचालक एकीकृत सर्किट या ऐसे अर्द्धचालक एकीकृत सर्किट को सम्मिलित करने वाली कोई वस्तु बेची जानी चाहिए अथवा ऐसे अर्द्धचालक एकीकृत सर्किटों या वस्तुओं के लिए विशिष्ट कीमत को बनाए रखने की बाबत, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के बीच किया गया करार, यदि कोई हो या उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां ।

(2) आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समाधान के लिए दिया गया शपथ पत्र फाइल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित तथ्य दिए जाएंगे -

(क) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से (iii) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां और कथन ;

(ख) इस बारे में कथन कि क्या उसके द्वारा उस अभिन्यास डिजाइन का जो आवेदन की विषय वस्तु है, उपयोग आवेदन की तारीख से पूर्व व्यापार के अनुक्रम में किया गया है और यदि ऐसा है तो ऐसे उपयोग का परिमाण और अवधि ;

(ग) इस बारे में कथन कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने स्वतः अभिन्यास डिजाइन के बारे में हक समनुदधन द्वारा अजित किया है ;

(घ) इस बारे में कथन कि क्या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा

अभिन्यास डिजाइन के उपयोग को अनुज्ञात किया था और यदि किया था तो किस के द्वारा।

(इ) इस बारे में कथन कि क्या प्रस्थापित अनुज्ञात उपयोग का आशय एक मात्र रूप से भारत से निर्यात के लिए ही था

(3) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित उपयोगकर्ता ऐसी अन्य दस्तावेजें भी पेश और फाइल करेगा तथा ऐसा साक्ष्य और जानकारी देगा जिसकी रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अपेक्षा की जाए।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक से अधिक आवेदन एक ही करार के अंतर्गत आने वाले अभिन्यास डिजाइन की बाबत, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा किए जाते हैं, वहां उपनियम (1) में वर्णित दस्तावेजों, उक्त आवेदनों में या किसी एक के साथ फाइल की जा सकेंगी और अन्य आवेदन या आवेदनों में दी गई ऐसे दस्तावेजों का प्रतिनिर्देश किया जाएगा।

56. रजिस्टर में प्रविष्टि -- (1) जहां नियम 55 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है वहां रजिस्ट्रार प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर करेगा।

(2) रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि में उस तारीख का जिसको रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की तारीख का कथन होगा। प्रविष्टि में धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित विशिष्टियों और कथनों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के नाम, विवरण और उसके भारत में कारबार के मुख्य स्थान का तथा यदि वह भारत में कारबार नहीं करता है तो भारत में तामील के लिए उसके पते का कथन होगा।

57. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सूचना -- रजिस्ट्रार द्वारा किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की लिखित सूचना अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को, और ऐसे प्रत्येक अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को भेजी जाएगी जिसका नाम प्ररूप

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आशय कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने का है, ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति से एक माह के भीतर इस आशय की सूचना रजिस्ट्रार को विहित फीस के साथ प्ररूप अ. डि.-16 में देगा और उसके साथ उसके हस्तक्षेप के आधारों का कथन भी भेजेगा। उस पर रजिस्ट्रार अन्य पक्षकारों पर अर्थात् आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता पर जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रश्नगत कार्यवाही की विषय वस्तु है और किसी ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता पर जो हस्तक्षेप करता है, ऐसी सूचना और कथन की प्रतियां तामील करेगा या तामील कराएगा।

(3) आवेदक और उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति, ऐसे समय या समयों के भीतर जो रजिस्ट्रार नियत करे, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य दे सकेगा और रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् आवेदन स्वीकार कर सकेगा या इन्कार कर सकेगा।

62. धारा 31 का उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का आवेदन- धारा 31 का

उपधारा (2) के अधीन आवेदन ऐसी विहित फीस के साथ, जो किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा समुचित हो, प्ररूप अ.डि.-6 या प्ररूप अ.डि. -17 या प्ररूप अ.डि. - 18 या प्ररूप अ.डि. - 19 में किया जाएगा और रजिस्ट्रार, शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उन परिस्थितियों में, जिनमें आवेदन किया जाता है, ठीक समझे।

अध्याय 6

रजिस्टर का परिशोधन और संशोधन

रजिस्टर का परिशोधन

63. रजिस्टर को परिशोधित करने के लिए आवेदन- रजिस्टर में किसी अभिन्यास डिजाइन से संबंधित कोई प्रविष्टि करने, उसे समाप्त करने या उसमें फेरफार करने के लिए धारा 30 या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को कोई आवेदन, विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि.- 12 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ आवेदक के हित की प्रकृति और उन तथ्यों का जिन पर वह अपना मामला प्रस्तुत करता है, अधीकृत करते हुए दो प्रतियां में एक विवरण भेजा जाएगा। जहां आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो

प्रश्नगत अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है, आवेदन और पूर्वोक्त विवरण रजिस्ट्री में तीन प्रतियों में भेजा जाएगा। ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता है, ऐसे आवेदन और विवरण के साथ उनकी उतनी प्रतियां भी होंगी जितने रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हैं। आवेदन और विवरण की एक-एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा तत्काल रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो रजिस्टर से अभिन्यास में कोई हित रखता प्रतीत हो, संप्रेषित की जाएगी।

आगे की प्रक्रिया- रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा नियम 63 में उल्लिखित आवेदन की प्रति लिए जाने से दो मास के भीतर वह रजिस्ट्रार को प्ररूप अ.दि-3 में उन आधारों का जिन आवेदन का विरोध किया जाता है, तीन प्रतियों में प्रतिकथन भेजेगा और यदि वह ऐसा करता तो रजिस्ट्रार आवेदन करने वाले व्यक्ति को प्रतिकथन की एक प्रति की तामील करेगा।

सके पश्चात् आवेदन को आगे कार्यवाहियों के लिए नियम 35 से नियम 41 तक के उपबंध,

यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। तथापि, अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार केवल इस कारण रजिस्टर का परिशोधन नहीं करेगा कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने प्रतिकथन फाइल नहीं किया है। किसी शंका की दशा में, कोई भी पक्षकार, यथास्थिति, अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा।

65. अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से रजिस्टर का परिशोधन- (1) वह सूचना जो

नियम 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित है, लिखित रूप में

रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को, यदि कोई हो, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जो रजिस्टर से अभिन्यास डिजाइन में कोई हित रखने वाला प्रतीत होता हो, भेजी जाएगी और उन आधारों पर कथन किया जाएगा जिन पर अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार रजिस्टर परिशोधन करने का प्रस्ताव करता है और वह समय भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो ऐसी सूचना तारीख से एक मास से कम नहीं होगा जिसके भीतर सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा।

(2) जब तक कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस प्रकार अधिसूचित कोई

व्यक्ति, अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार को उन तथ्यों का जिन पर वह सूचना में कथित आधारों को प्राप्त करने का विश्वास करता है, लिखित रूप में अधिकथित करते हुए एक कथन नहीं भेजता है या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसके बारे में यह माना जा सकेगा कि वह

सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं और अपील-बोर्ड या रजिस्ट्रार तदनुसार कृत्य कर सकेगा ।

(3) यदि अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार रजिस्टर को परिशोधित करने का विनिश्चय करता है तो वह लिखित रूप में विनिश्चय की संसूचना रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को, यदि कोई हो, देगा ।

66. अपील बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार को आदेश--रजिस्टर को परिशोधित करने के लिए अपील बोर्ड का रजिस्ट्रार को कोई आदेश, रजिस्टर में कोई सुधार करने, उसे समाप्त करने या उसमें फेरफार करने के ब्यौर उपदर्शित करेगा । रजिस्ट्रार, अपील बोर्ड से प्ररूप पु.अ.डि.- 7 में सूचना की प्राप्ति पर तदनुसार रजिस्टर को परिशोधित करेगा ।

पते में परिवर्तन

67. रजिस्टर में पते में परिवर्तन-- (1) किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का पता या जिसका कारबार का प्रधान कार्यालय भारत में है या जिसका उसके गृह देश में पता है, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार परिवर्तित हुआ है कि रजिस्टर में की गई प्रविष्टि अशुद्ध हो जाती है तो वह तत्काल प्ररूप अ.डि.- 18 पर रजिस्ट्रार से रजिस्टर में पते में समुचित परिवर्तन करने का अनुरोध करेगा और यदि उसका इस मामले में समाधान हो जाता है तो रजिस्ट्रार तदनुसार रजिस्टर में फेरफार करेगा ।

(2) यदि किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का, जिसका भारत में तामील के लिए पता रजिस्टर में प्रविष्टि किया गया है, पते की अनिरन्तरता के कारण या अन्यथा इस प्रकार बदल जाता है कि रजिस्टर की प्रविष्टि अशुद्ध हो जाती है तो वह तत्काल प्ररूप अ.डि. -19 पर रजिस्ट्रार से रजिस्टर में पते में समुचित परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करेगा और रजिस्ट्रार, यदि उसका मामले में समाधान हो जाता है तो तदनुसार रजिस्टर में परिवर्तन करेगा ।

(3) अभिन्यास डिजाइन का ऐसा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, भारत में जिसके कारबार के प्रधान स्थान का पता या भारत में तामील के लिए, जिसका पता किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है, बदला गया पता उन्हीं परिस्थितियों का प्ररूप अ.डि. - 18 पर रजिस्ट्रार को प्रविष्टि है तो वह, यथास्थिति, प्ररूप अ.डि. - 18 पर रजिस्ट्रार को पूर्वोक्त अनुरोध कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो

प्राधिकारी द्वारा दिए गए परिवर्तन के प्रमाणपत्र को भी वही देगा । यदि रजिस्ट्रार का मामले के

तथ्यों के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन करेगा किन्तु नियम 10 के उपनियम (2) या नियम 11 के उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी प्ररूप पर संदत्त किया जाये, तब नियम किसी भीस की अपेक्षा जदी तबोहा ।

(4) (i) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन अनुरोध करता है वहां वह अनुरोध की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं पर, यदि कोई हो, तामील करेगा और रजिस्ट्रार को तदनुसार सूचित करेगा ।

(ii) जब पूर्वोक्त अनुरोध किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है वहां वह उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को यदि कोई हो, तामील करेगा और रजिस्ट्रार को सूचित करेगा कि उसने ऐसा कर दिया था ।

(5) रजिस्ट्रार में प्रविष्ट किया गए किसी व्यक्ति के ऐसे एने के परिवर्तन की तथा में जो अभिन्यास डिजाइन के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के भारत में तामील के लिए है, रजिस्ट्रार यह सबूत मिलने पर कि उक्त पता आवेदक का पता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना उचित है तो उस व्यक्ति से इस प्रकार

संशोधन, जो ममिल के लिए उपयुक्त हो, प्ररूप अ.डि. - 19 पर उसके पते की प्रविष्टियों की इस प्रकार समुचित परिवर्तन करने के लिए कि वह अनेक रजिस्ट्रीकरण में तामील के लिए पतों की अपनी विशिष्टियों ऐसा प्ररूप में दा जंरिगा, आवेदन स्वाकार कर सकेगा और तदनु प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगा ।

(6) इस नियम के अधीन प्ररूप अ.डि. - 19 के सभी आवेदनों की, यथास्थिति, रजिस्ट्री स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा या ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत किसी उपयोगकर्ता द्वारा जब तक कि आपवादिक परिस्थितियों

रजिस्ट्रार अन्यथा अनुज्ञात नैहा केर, हस्ताक्षर किया जाएगा ।

रजिस्टर का संशोधन

68. धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन- जहां किसी अभिन्यास डिजाइन से सं किसी प्रविष्टि में संशोधन द्वारा रजिस्ट्रार में परिवर्तन द्वारा या रजिस्ट्रार में अभिन्यास डिजाइन प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी आवेदन किया गया है वहां रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा शपथपत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य करने की अपेक्षा कर सकेगा जो रजिस्ट्रार, उन परिस्थितियों में, जिनमें आवेदन किया ग

ठीक समझे । ऐसा आवेदन ऐसी विहित फीस के साथ जो सुमचित समझी जाए प्ररूप अ.डि. - 6, अ.डि. 17-18, अ.डि. - 19 या अ.डि. -20 में किया जाएगा और उसकी एक प्रति की आवेदक द्वारा प्रश्नगत अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं पर, यदि कोई हो, और किसी अन्य व्यक्ति की जो रजिस्टर से अभिन्यास डिजाइन में हितबद्ध प्रतीत हुआ हो, तामील की जाएगी ।

अध्याय 7

अपील बोर्ड

69. अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन या पारेषण का रद्द किया जाना --

(1) कोई व्यक्ति प्ररूप अ.डि.- 33 में विहित फीस के साथ अपील बोर्ड को अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण को या समनुदेशन या पारेषण को रद्द करने के लिए धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन कर सकेगा । बोर्ड प्ररूप प.अ.डि. - 8 में विरोधी पक्षकारों को सूचना देगा ।

(2) अपील बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के विरोध में सूचना में विनिर्दिष्ट समय के

आपार उत्तर प्राप्त हो न पर या जहां-इसी उत्तर इस प्रक्रिया में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पश्चात् फाइल नहीं किया जाता है आवेदक को सुने जाने का और विरोधी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा ।

70. बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के कतिपय उपयोगों की अनुज्ञा देना

अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील बोर्ड सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा । ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन, विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि. - 34 पर किया जाएगा ।

71. धारा 51 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रयासों के लिए समयावधि-- धारा

51 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति को उस उपधारा के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के उपयोग की तत्पश्चात् अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक अपील

बोर्ड का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के साथ ऐसे अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के लिए युक्तियुक्त वाणिज्यिक निबधनों और शर्तों पर करार करने के प्रयास कर लिए हैं और छह मास की अवधि के भीतर ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए थे ।

72. रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के उपयोग का अनुज्ञोद्देन का अपील बोर्ड के विनिश्चय

का पुनर्विलोकन—(1) किसी अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारा अपील बोर्ड से धारा

51 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा का पुनर्विलोकन करने के लिए, ऐसे पुनर्विलोकन हेतु ब्यौरे देते हुए अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध, विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि. - 29 में फाइल किया जाएगा।

(2) अपील बोर्ड, अपने विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर, प्ररूप पु.अ.डि. - 9 पर धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सूचना जारी करेगा। सूचना में तर्कों की सुनवाई की तारीख भी उपदर्शित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी मामले में तर्कों की सुनवाई के लिए नियत तारीख, सूचना की तारीख के पश्चात् तब तक कम से कम एक मास के पश्चात् की तारीख होगी जब तक कि पक्षकारों ने कम अवधि की सूचना के लिए सहमति न दी हो। सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर कोई पक्षकार जो उपसंजात होने का आशय रखता है, अपील बोर्ड को अधिसूचित करेगा।

काइ पक्षकार जा इस प्रकारे इसक पूर्व बताए गए समर्थक मातर अपील बोर्ड का इस प्रकार

यत नही करता तब यह समझा जाएगा कि वह सुन जाने के लिए इसक मातर है और

ला बोर्ड तदनुसार कृत्य कर सकेगा।

अपील बोर्ड का विनिश्चय लिखित रूप में पक्षकारों को अधिसूचित किया जाएगा।

(4)

स्वामिस्व के अवधारण के लिए अपील बोर्ड को आवेदन—(1) धारा 40 की उपधारा (1) के न स्वामिस्व के अवधारण के लिए आवेदन प्ररूप अ.डि. - 27 पर अपील बोर्ड को किया गा। ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में कथित तथ्यों और आधारों का समर्थन करते हुए एक पत्र भी होगा और यथास्थिति, उस अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ या किसी वस्तु की बाबत 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का अनुपालन करने या तालन का निदेश देने से उद्भूत फायदों के समर्थन में दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों की प्रति भी जिनकी बाबत स्वामिस्व का दावा किया गया है और फाइल करने की बाबत तथा प्राओं की तामील या निष्पादन के लिए दावा किए गए स्वामित्व के दो प्रतिशत के तुल्य होगी।

73.

अधी

जाए

शपथ

धारा

अनुप

होगी

प्रक्रि

फीस

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति होने पर, अपील बोर्ड विरोधी पक्षकार को प्ररूप पु अ.डि. - 3 में सूचना देगा। विरोधी पक्षकार उस तारीख से जिसको उसे ऐसी सूचना प्ररूप अ.डि. - 28 में तामील की जाती है, तीस दिन के भीतर विरोध फाइल कर सकेगा।

(3) अपील बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन विरोध की प्राप्ति होने पर या जहां उपनियम (2) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पर्यवसान के पश्चात् ऐसा विरोध फाइल नहीं किया जाता है वहां आवेदक और विरोधी पक्षकार को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा।

74. अपील बोर्ड को अपील -- धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड को कोई अपील विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि. - 26 में की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में विनिर्दिष्ट रीति से अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित की जाएगी। उस आदेश या विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध ऐसी अपील की जाती है, एक प्रति ऐसे प्ररूप के साथ लगाई जाएगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

75. समय का विस्तारण --(1) धारा 76 के अधीन ऐसे समय के विस्तार के लिए आवेदन जो अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित समय या ऐसे विस्तार के लिए समय नहीं है, जिसका उपबंध इन नियमों में किया गया है, विहित फीस के साथ प्ररूप अ.डि. - 23 पर किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर, रजिस्ट्रार यदि उसका समाधान हो जाता

है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो आवेदित समय के विस्तार को उचित ठहराती हैं तो इन नियमों को उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां अधिकतम समय-सीमा विहित है और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, समय का विस्तार कर सकेगा और तदनुसार पक्षकारों को अधिसूचित करेगा और विस्तार अभिलेखीय कृत्य करने या वह कार्यवाही करने के लिए, जिसके लिए आवेदन किया गया है पहले ही समाप्त हो गया हो या नहीं, मंजूर किया जा सकेगा।

76. रजिस्ट्रार की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग -- वह समय जिसके भीतर धारा 72 के अधीन कोई व्यक्ति सुने जाने के अवसर का हकदार है, सुने जाने की अपेक्षा करने वाला अपने विकल्प का प्रयोग करेगा जो अधिनियम या इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अपेक्षित है, उसके

सिवाय उस सूचना की तारीख से एक मास का होगा जो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति को उस मामले के अवधारण के पूर्व देगा जिसके प्रतिनिर्देश से ऐसा व्यक्ति सुने जाने का हक्कदार है। यदि उस मास के भीतर ऐसे व्यक्ति के सुने जाने की अपेक्षा है तो रजिस्ट्रार सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और उसके लिए दस दिन की सूचना देगा।

77. विनिश्चय की अधिसूचना-- अधिनियम या इन नियमों द्वारा रजिस्ट्रार को दी गई किसी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में उसकी विनिश्चय, प्रभावित व्यक्ति को अधिसूचित किया जाएगा।

78. प्रक्रियाओं में अनियमितता का संशोधन और निराकरण (4)(1) अधिनियम डिजाइन के किसी दस्तावेज या रेखाचित्र या अन्य अभ्यावेदन को संशोधित किया जा सकेगा और प्रक्रिया में की ऐसी किसी अनियमितता को, किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रार की राय में हटाई जा सकती है, यदि रजिस्ट्रार ऐसे निबंधनों पर जो वह निदेश देना ठीक समझता है शुद्ध किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार अधिनियम की औपचारिक अपेक्षाओं के अनुसार लाने के लिए किसी आवेदन या अभिन्यास डिजाइन के निरूपण या किसी अन्य दस्तावेज या उनमें किसी मामले के परिवर्धन के लिए संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा।

79. निदेश, जो अन्यथा विहित नहीं है -- जहां अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार की राय में, अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के उचित अभियोजन या उसे पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कृत्य करना आवश्यक हैं, दस्तावेज फाइल करने या साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा जो अधिनियम या नियमों द्वारा उपबंधित नहीं है अपील बोर्ड या रजिस्ट्रार लिखित में सूचना द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कार्य करने, दस्तावेज फाइल करने या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

सुनवाई

80. सुनवाई--(1) किसी ऐसे अभिन्यास डिजाइन के संबंध में जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन और साथ ही इस अधिनियम और नियमों के अधीन अपील कार्यवाही, सुनवाई आवश्यक सूचना की दशा में, रजिस्ट्री के उस कार्यालय में जिसमें ऐसा आवेदन धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किया गया था या उस कार्यालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थान पर जिसके लिए रजिस्ट्रार उचित समझे सुनवाई की जाएगी।

(2) जहां उस रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी जिसने अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी मामले की सुनवाई की है, उस पर आदेश आरक्षित रखा है और वह रजिस्ट्री के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अंतरित हो जाता है या उस आदेश पारित करने या विनिश्चय देने के पूर्व अन्य नियुक्त पर प्रत्यावर्तित हो जाता है, वहां वह यदि रजिस्ट्रार ऐसा निदेश दे तो इस प्रकार आदेश फाइल कर सकेगा या विनिश्चय कर सकेगा, वहां वह उस रजिस्ट्री के कार्यालय में जहां मामले की सुनवाई की गई थी, अधिकारी बना रहा होगा।

खर्च का अधिनिर्णय

81. बिना लड़े किए गए मामलों में खर्चे- जहां इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से संस्थित किसी विरोध के प्रति आवेदक द्वारा आगे नहीं लड़ा जाता है वहां रजिस्ट्रार यह विनिश्चय करने में कि प्रत्यर्थी को खर्चे का अधिनिर्णय किया जाना चाहिए या नहीं, इस बात पर विचार करेगा कि क्या विरोध की सूचना फाइल किए जाने के पूर्व प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को युक्तियुक्त सूचना दी गई होती तो कार्यवाहियों से बचा जा सकता था या नहीं।

82. नियम 81 का अपवाद- नियम 81 के उपबंधों के होते हुए भी, प्ररूप अ.डि. -2, अ.डि.-

वाहियों में प्रयोग किए गए शपथ पत्र में-

2 और अ.डि.-4 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और कार्य

खर्चे दिए जाएंगे।

उपयोग की गई और लगाई गयी सभी रकमों की बाबत

रजिस्ट्रार

83. खर्चों का मापमान- नियम 81 और नियम 82 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

उपबंध है-

उसके समक्ष सभी कार्यवाहियों में अधिनियम द्वारा अथवा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से

धेक नहीं

उसके सिवाय ऐसे खर्चों का जो अनुसूची 1 के अधीन उसके लिए अनुज्ञेय रकम से आ

धिनिर्णय

है जैसा कि वह मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे अ

कर सकेगा।

रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय का पुनर्विलोकन

के अधीन

84. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन- धारा 72 के खंड (ग) व

प्र. प्ररूप

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए उसको आवेदन, विहित फीस के साथ

सी और

अ.डि. -24 पर ऐसे विनिश्चय की तारीख से एक मास के भीतर या उसके पश्चात् ऐ

अनुज्ञात

अवधि के जो एक मास से अधिक नहीं होगी, भीतर जैसा कि रजिस्ट्रार अनुरोध पर

विलोकन

करे, किया जाएगा और उसके साथ उन आधारों को अधिकथित करते हुए, जिनका पुनर्

सी अन्य

चाहा गया था, एक कथन भी होगा। जहां प्रश्नगत विनिश्चय आवेदक के अतिरिक्त कि

स्ट्रार

व्यक्ति स भी संबद्ध है, वहां ऐसा आवेदन और कथन तार्किक प्रातियों में पेश किया जाएगा और राज

ऐसे आवेदन और कथन की प्रत्येक एक प्रति तत्काल संबद्ध अन्य व्यक्ति को प्रेषित करेगा ।
रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् तो बिना किसी शर्त के या ऐसी
शर्त या परिसीमाओं के जिन्हें वह ठीक समझे अधीन रहते हुए आवेदन को रद्द कर सकेगा या
मजूर कर सकेगा ।

शपथ पत्र

85. शपथ पत्र का प्ररूप, आदि--(1) अधिनियम और इन नियमों द्वारा रजिस्ट्री में फाइल किए जाने के लिए या अपील बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार को दिए जाने के लिए अपेक्षित शपथपत्र के शीर्ष पर ऐसे मामले या मामले होंगे जिससे वह शपथपत्र संबंधित है जब तक कि अनुसूची 2 में

न्यायालय की सील जिससे वह सहबद्ध है, लगाएगा और उसके अंत में अपने नाम और वर्णन सहित हस्ताक्षर करेगा ।

(5) शपथपत्र लेने के लिए उपनियम (3) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मुद्रा या हस्ताक्षर जो उसके समक्ष शपथ पत्र लिए जाने के साक्ष्य स्वरूप किसी शपथपत्र पर लगाए गए अंकित किए गए या लिखे गए तात्पर्यित हैं, रजिस्ट्रार द्वारा मुद्रा या हस्ताक्षर की असलियत उस व्यक्ति के विषय स्वरूप सबूत के बिना स्वीकार किया जा सकेगा ।

(6) परिवर्तन और अंतरण लेख, शपथपत्र पर शपथ लिए जाने या प्रतिज्ञान किए जाने के पूर्व उस व्यक्ति के आद्यक्षरित से अधिप्रमाणित किया जाएगा जिसका शपथपत्र लिया जाता है ।

(7) जहां अभिसाक्षी उस भाषा से परिचित नहीं है, जिसमें शपथ पत्र लिखित है, वहां शपथपत्र लेने वाले व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणपत्र कि अभिसाक्षी के समक्ष शपथपत्र अनुदित हुआ है और अभिसाक्षी उसे पूर्णतः समझ सकता है, प्रतीत होता है और अभिसाक्षी ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं, जूरट में लिखा जाएगा ।

(8) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किए गए प्रत्येक शपथपत्र, तत्समय प्रवृत्त अवधि की विधि के अधीन सम्यक् रूप से स्टांपित होगा ।

86. जन साधारण द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण- धारा 87 की उपधारा (1) में उल्लिखित दस्तावेज रजिस्ट्री के मुख्यालय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे । रजिस्टर की एक प्रति और धारा 87 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेज, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे । निरीक्षण ऐसे सभी दिनों में, जिनमें रजिस्ट्री के कार्यालय जन साधारण के लिए बंद नहीं है, ऐसे समय तक किया जाएगा जो रजिस्टर नियत करे ।

87. जरनल और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का वितरण- केन्द्रीय सरकार, रजिस्ट्रार को जरनल और कोई अन्य ऐसा दस्तावेज जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से नियत किए जाएं और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, वितरण करने का निर्देश दे सकेगी ।

प्रमाण पत्र

88. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां-- रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां या धारा 87 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतियां या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वाले प्रमाणपत्र से भिन्न प्रमाणपत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि बात या चीज से संबद्ध हैं जिसे कि रजिस्ट्रार अधिनियम या इन नियमों द्वारा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, रजिस्ट्रार विहित फीस सहित उसके लिए, प्ररूप अ0डि0 - 22 में किए गए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन की प्राप्ति पर दे सकेगा ।

89. विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए उपयोग में आने वाला प्रमाणपत्र-- जहां किसी अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रमाणपत्र भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के उपयोग के लिए चाहा गया है वहां रजिस्ट्रार ऐसा प्रमाणपत्र दे सकेगा । रजिस्ट्रार अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित ऐसी विशिष्टियां प्रमाणपत्र में देगा जो उसे ठीक प्रतीत हैं । वह प्रयोजन, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, उसमें कथित किया जाएगा ।

90. अभिलेख नष्ट किए जाएंगे - जहां अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रत्याहृत , परित्यक्त या खारिज कर दिया जाता है या अभिन्यास डिजाइन रजिस्टर से हटा दिया जाता है वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति, आवेदन के प्रत्याहृत या परित्यक्त या खारिज किए जाने के पश्चात् यदि रजिस्टर से अभिन्यास डिजाइन हटाए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की समाप्ति पर संबद्ध अभिन्यास डिजाइन के आवेदन से संबंधित सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा ।

उच्च न्यायालय को अपील

91. अपील के लिए समय-- अधिनियम के अधीन अपील बोर्ड के किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो उच्च न्यायालय अनुज्ञात करे , की जाएगी । अपील विहित फीस के साथ प्ररूप अ0डि0-35 में की जाएगी । अपील में उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाती है और वे आधार, जिन पर अपील की जाती है, साक्ष्य सहित यदि कोई हैं, होंगे ।

उच्च न्यायालय को आवेदन

92. उच्च न्यायालय को किया गया आवेदन, अपील बोर्ड को तामील किया जाएगा, अधिनियम

के अधीन उच्च न्यायालय को प्रत्येक अपील की प्रति अपील बोर्ड के तामील की जाएगी।

अध्याय 10

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

93. अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता का रजिस्ट्रीकरण- अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता का रजिस्टर- रजिस्टार, अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता का नाम, उसके निवास स्थान का पता, कारबार के मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रीयता, अहताएँ और रजिस्ट्रीकरण की तारीख की प्रविष्टि की जाएगी।

94. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएँ- नियम 95 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति अभिन्यास डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित समझा जाएगा यदि वह :-

- (i) भारत का नागरिक है ;
- (ii) 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है ;
- (iii) उसने नियम 98 में विहित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या वह ;
- (iv) भारत में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या तुल्यमान अहता रखता है, और
- (v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति समझा जाता है।

95. वे व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रीकरण विवर्जित है - ऐसा कोई व्यक्ति अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह :-

- (i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ;
- (ii) अननुमोचित दिवालिया है ;
- (iii) अननुमोचित दिवालिया होते हुए उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त किया है कि उसकी ओर से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था ;
- (iv) भारत के अंदर या भारत से बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जो कारावास से दण्डनीय है, जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है उसे क्षमा नहीं मिल गयी है या जब तक केन्द्रीय सरकार ने, इन निमित्त किए गए आवेदन पर, उसकी निरयोग्यता को हटा नहीं दिया है ;

(v) विधि व्यवसायी होते हुए वृत्ति संबंधी अवचार का दोषी भारत में के किसी उच्च न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से बाहर वाले किसी न्यायालय द्वारा ठहराया गया है या

(vi) चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए किसी उच्च न्यायालय द्वारा उपेक्षा या अवचार का दोषी ठहराया गया है।

96. आवेदन करने की रीति -- इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन तीन प्रतियों में

किए जाएंगे और उसे रजिस्ट्रार का मंजूर या उचित उपास्थाने किए जाएंगे जिसका प्रावधान सीमाओं के भीतर आवेदन के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है।

97. अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -- (1) अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विहित फीस

के साथ आवेदन करेगा।

(2) आवेदक अपने आवेदन विषयक ऐसा अतिरिक्त जानकारी देगा जिससे रजिस्ट्रार किसी समय करे।

98. आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएँ -- (1) रजिस्ट्रार अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति

समाधान हो जाता है कि आवेदक विहित अर्हताओं को पूर्वगामी नियमों के अनुसार

सम्यक समय पर एक तारीख नियत करेगा जिस पर अभ्यर्थी उ

परिपक्व अभिन्यास डिजाइन विधि, प्रवृत्ति और प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होगा

और उसके पश्चात् साक्षात्कार होगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिनियम और

नियमों के उपबंधों का विस्तृत जानकारी और अधिचालक एकांकित परिपक्व अभिन्यास डिजाइन विधि के तत्वों की जानकारी रखता हो।

(2) लिखित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होंगे तथा अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं घोषित किया जाएगा जब तक कि वह दोनों के कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

99. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र -- अभ्यर्थी को साक्षात्कार हो जाने और उसके आवेदन पर यदि

कोई अन्य जानकारी जिसे रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, अधिप्राप्त हो जाने के पश्चात् यदि

रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, अभ्यर्थी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

रजिस्ट्रार आवेदन के

अर्हित समझता है तो वह आवेदक को इस आशय की एक सूचना भेजेगा और इस प्रकार सूचित कोई व्यक्ति लिखित रूप में विहित फीस का संदाय अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए कर सकेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार आवेदक के नाम

को अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और अभिकर्ता के रूप में

उसके रजिस्ट्रीकरण का शा.आ. डी.-4 में उसे प्रमाणपत्र जारी करेगा।

100. अभिन्यास डिजाइन के अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी नाम का बना रहना --

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने की यह शर्त होगी कि इस नेमित्त विहित फीस देता रहे।

101. अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से अभिकर्ता का नाम हटाया जाना -- (1)

रजिस्ट्रार ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के नाम को अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा सकेगा --

(क) जिससे इस आशय की प्रार्थना मिली है ; या

(ख) जिससे उस तारीख से जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है तीन मास की

फीस प्राप्त नहीं हुई है।

समाप्ति की तारीख से वार्षिक

अभिन्यास डिजाइन के ऐसे किसी अभिकर्ता का नाम अभिन्यास रजिस्टर से हटा देगा-

(2) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीयकृत डिजाइन के अभिकर्ता के रजि

ण के समय, नियम 95 के अधीन है या तत्पश्चात्

(क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण खंड (i) से लेकर खंड (vi) तक में कथित नियोग्यताओं में से किसी हो गया है ; या

कैक हैसियत में उपेक्षापूर्ण वह व्यक्ति रजिस्ट्रार में बना

(ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ने इस कारण कि अपनी वृत्ति अपजार या बेईमानी का कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि रहने के लिए अयोग्य और अनुचित व्यक्ति है ;

। किसी तात्त्विक तत्व को

(ग) जिसका नाम रजिस्टर में भूल से या दुर्यपदेशन के कारण य छुपाने के कारण प्रविष्ट किया गया है।

बद्ध व्यक्ति को यह हेतु

परंतु खंड (ख) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रार स संदर्भित करते के लिए समाप्त करेगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को जाए और ऐसी अतिरिक्त जांच भी यदि कोई हो, करेगा, जैसी कि वह 3

रह 26 वर्षों, न कर दिया,

नावश्यक समझता है।

(3) रजिस्ट्रार, अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा देगा, जो मर चुका है।

(4) अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है

राजपत्र और जर्नल में अधिसूचित किया जाएगा और जहाँ भी सम्भव हो उसकी संसूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

102. कतिपय अभिकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से इंकार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति--

(1) रजिस्ट्रार निम्नलिखित को मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम उस से हटा दिया गया है और अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्ट्रार की बाबत भारत में या अथवा उस व्यक्ति के नाम में या उसके लाभ के लिए जिसके द्वारा वह नियोजित किया जाता है, अभिन्यास डिजाइन को उपयोजित करने के लिए आवेदन करने में अभिकर्ता के रूप में पूर्णतः या प्रधानतः लगा है।

(ग) कोई कंपनी या फर्म, यदि कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रार इन नियमों के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से भी इंकार कर सकता है, कंपनी के निदेशक या अधिकार के रूप में कार्य कर रहा है या उस फर्म में भागीदार है।

(2) रजिस्ट्रार इस नियम के अधीन, किसी कारबार की बाबत ऐसे किसी व्यक्ति को अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से भी इंकार करेगा जो न तो भारत में निवास करता है और न कारबार का उसका कोई स्थान है।

103. हटाए गए नामों का प्रत्यावर्तन -- जिस व्यक्ति का नाम नियम 101 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है, अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाए जाने की तारीख से छः मास के भीतर उस व्यक्ति से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस सहित आवेदन एल.डी.ए.-4 में प्राप्त होने पर अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस तारीख से जिसका उसकी आंतिम वार्षिक फीस शोध्द हुई थी, उसका नाम उस रजिस्टर में रहने दे सकेगा।

(2) अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन को राजपत्र और जर्नल में अधिसूचित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में परिवर्तन—(1) अभिन्यास डिजाइन का अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट अपने नाम, निवास स्थान के रजिस्टर के मुख्य स्थान के पते, या अहताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रारूप अ. डि. ए. 3

104.

अभिकर्ता

पते कारब

केगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के आवश्यक परिवर्तन कराएगा।

में कर स

रजिस्टर में

न्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन राजपत्र जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) अभि

में अधिसूचि

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर का प्रकाशन—अभिन्यास डिजाइन के रजिस्टर और उसकी परिपूर्ण सूची समय-समय पर, और जैसा कि रजिस्ट्रार प्रकाशित किया जाएगा, इसमें की प्रविष्टियां रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन उपनामों का वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा, और उसकी प्रतियां जारी की जाएंगी।

105.

अभिकर्ताओं क

कीक सम्झाता

के अभिकर्ता के

विक्रयार्थ रखी

[सं. 12(31)/99-आई पी सी(पार्ट) वो. IV]

एस. लक्ष्मीनारायण, संयुक्त सचिव

पहली अनुसूची
(नियम 10 देखें)

प्रविष्टि संख्या	किस पर संदेय है	रकम रुपयों में	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
1.	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पर	5000	अ.डी-1

2.	धारा 11(1) के अधीन विरोध की सूचना पर	500	अ.डी-2
3.	धारा 11(2) के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर या धारा 30 के अधीन आवेदन के उत्तर में प्रतिकथन पर	500	अ.डी-3
4.	धारा 11 तथा 30 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना मिलने पर	500	अ.डी-4
5.	नियम 27(1) के अधीन विनिश्चय के आधारों का कथन करने के अनुरोध पर	500	अ.डी-5
6.	त्रुटि में शुद्धि के लिए अथवा संशोधन के लिए अनुरोध पर	500	अ.डी-6

7.	कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिजाइन के विज्ञापन या समनुदेश के लिए धारा 22 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन पर	2000	अ.डी-8
----	---	------	--------

8.	कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिजाइन के विज्ञापन या समनुदेशन के लिए धारा 22 के अधीन निदेशों के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर	500	अ.डी-9
9.	अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन या पारेषण के मामले में पश्चात्कर्ती स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 23 के अधीन आवेदन पर	1500	अ.डी-11 या अ.डी-10

10.	राजस्टर के पारशाधन अथवा राजस्टर से अभिन्यास डिजाइन हटाने के लिए धारा 30 के अधीन आवेदन पर	2000	अ.डी-12
-----	--	------	---------

11.	रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को धारा 25 अधीन रजिस्टर करने के लिए आवेदन पर	3000	अ.डी-13
-----	--	------	---------

अ.डी-14	12.	रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि को धारा 26 (क) के खण्ड (क) के अधीन रद्द करने के आवेदन पर	1000
अ.डी-15	13.	रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि को धारा 26 (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन रद्द करने के आवेदन पर	1000

14.	रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के आशय के लिए नियम 61 (2) के अधीन सूचना पर	1000	अ.डि.-16
15.	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अथवा रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के नाम या विवरण में वहाँ परिवर्तन के लिए धारा 31 के अधीन आवेदन पर जहाँ रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के स्वामित्व या पहचान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।	1000	अ.डि.-17
16.	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अथवा रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के पते की प्रविष्टि में परिवर्तन के लिए धारा 31 (2) के अधीन आवेदन पर, जब तक कि नियम 67(3) के अधीन फीस से छूट नहीं दी गई हो	1000	अ.डि.-18
17.	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अथवा रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के भारत में तामील के लिए पते का प्रोवाइड करने के आवेदन पर जब तक कि नियम 67(3) के अधीन फीस से छूट नहीं दी गई हो	1000	अ.डि.-19
18.	रजिस्ट्रार से अभिन्यास डिजाइन की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए धारा 31(1) के खण्ड (ग) के अधीन आवेदन पर	1500	अ.डि.-20
19.	अभिन्यास डिजाइन के लिए धारा 78 के अधीन रजिस्ट्रार की प्राथमिक सलाह के लिए अनुरोध पर	500	अ.डि.-21
20.	धारा 80 अथवा 86 के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के अनुरोध पर [धारा 13(2) के अधीन प्रमाण पत्र से भिन्न]	1000	अ.डि.-22
21.	धारा 76 के अधीन एक मास अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसे समय के विस्तार के लिए आवेदन पर [जो अधिनियम में अभिव्यक्त उपबोधित समय नहीं है]	1000	अ.डि.-23
22.	धारा 72(ग) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर	1500	अ.डि.-24
23.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी या और प्रति के लिए अनुरोध पर	2000	अ.डि.-25
24.	धारा 42(1) के अधीन अपील के लिए आवेदन पर	1500	अ.डि.-26
25.	अभिन्यास डिजाइन का प्रयोग सरकार द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने	2000	अ.डि.-29

	की अनुज्ञा देने के उसके विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए अपील बोर्ड को आवेदन पर		
26.	विरोध की सूचना देने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन पर	500	अ.डि.-30
27.	अभिज्ञापन डिजाइन या उससे संबंधित समनुदेश या पारंपरण के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आवेदन पर	2000	अ.डि.-33

[illegible]

दूसरी अनुसूची

प्ररूप (प्ररूपों की सूची)

प्ररूप संख्या	अधिनियम	नाम
	को धारा	
अ.डि.-1	8(1)	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
अ.डि.-2	11(1)	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रति विरोध की सूचना
अ.डि.-3	11(2)	प्रतिकथन का प्ररूप
अ.डि.-4	11,30	सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना
अ.डि.-5		नियम 27(1) के अधीन विनिश्चय के आधार के विवरण के लिए अनुरोध
अ.डि.-6	9(2), 12 एवं 13	लिपिकीय भूत या संशोधन के लिए अनुरोध
अ.डि.-7		शपथ पत्र (नियम 49 के अधीन अनुरोध के समर्थन में राजस्टर द्वारा अपक्षा किए जाने पर हा प्रस्तुत किया जाएगा)
अ.डि.-8	22	कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन के विज्ञापन के निदेश के लिए आवेदन
अ.डि.-9	22	कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन के विज्ञापन के लिए राजस्टर के निदेशों के लिए आवेदन करने की समय सीमा के विस्तार का आवेदन
अ.डि.-10	23	अभिन्यास डिजाइन के उसी नाम पर किसी पश्चातत्वेता स्वत्वधारी के रजिस्टर करने का अनुरोध
अ.डि.-11	23	अभिन्यास डिजाइन के उसी नाम पर किसी पश्चातत्वेता स्वत्वधारी के रूप में अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी तथा अंतरिती द्वारा संयुक्त अनुरोध
अ.डि.-12	30 एवं 48(1)	रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन
अ.डि.-13	25	रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
अ.डि.-14	26(1)(क)	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा उसके

		रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रद्दकरण के लिए आवेदन	
अ.डि-15	26(1)(ख) या ग	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन	
अ.डि-16		अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के आशय की सूचना (नियम 61(2))	
अ.डि-17	31	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता) के नाम या वर्णन में परिवर्तन की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध	

		अ.डि-18	31	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के पते की प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए धारा 31(2) के अधीन आवेदन जब तक कि नियम 67(3) के अधीन फीस से छूट नहीं दी गई हो	
अथवा खार का करण के पते की उसका			अ.डि-19	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता जिसका भारत में कोई प्रधान स्थान नहीं है, द्वारा उसके रजिस्ट्री भाग के रूप में भारत में तामील के लिए प्रविष्टि करने, उसमें परिवर्तन करने या प्रतिस्थापन करने के लिए अनुरोध का प्रारूप	
ये द्वारा दन			अ.डि-20	31(1)(ग)	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के रद्दकरण का आवेदन
न के करती			अ.डि-21	78	ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव है अभिन्यास डिजाइन की मालिकता या अधिकारों के रजिस्टर की प्राथमिक सहाह के लिए
यान के अनुरोध			अ.डि-22	80 और 87	रजिस्टार के प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध
धनियम			अ.डि-23	76	ऐसे समय के विस्तार के लिए आवेदन [जो आ में अभिव्यक्तित उपवर्धित समय नहीं है या ऐस है जिसके विस्तार के लिए नियम में उपवर्धित है।]
समय का गया					
लिए			अ.डि-24	72 (ग)	रजिस्टार के विनिश्चय के पत्रविलोकन के आवेदन
री या और एति के			अ.डि-25		रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरे लिए अनुरोध (नियम 46(3))
के अधीन अपील बोर्ड			अ.डि-26	42	धारा 41 की उप धारा (1) को अपील
पील बोर्ड को आवेदन			अ.डि-27	40	अभिन्यास के अवधारण के लिए अ

(नियम 73)

अ.डि-28	40(3)	अपील बोर्ड के समक्ष धारा 40(3) के अधीन विरोध
अ.डि-29	51(2)	रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के प्रयोग की अनुज्ञा के प्रति अपील बोर्ड के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए अपील अनुसूच
अ.डि-30	11(1)	विरोध की सूचना देने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन
अ.डि-31		अभिन्यास डिजाइन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध, नियम 32
अ.डि-32	84	अधिनियम के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकरण का प्ररूप
अ.डि-33	41	अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण या उससे संबंधित समनुदेश या पारेषण के रद्दकरण की सूचना
अ.डि-34	51	स्वत्वधारी के प्राधिकरण के बिना रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के प्रयोग की अनुज्ञा के लिए अनुरोध
शा.अ.डि-1		अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (नियम 97)
शा.अ.डि-2		अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता रजिस्ट्रार में किसी व्यक्ति के नाम प्रत्याकर्ता के लिए आवेदन (नियम 103)
शा.अ.डि-3		अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता रजिस्ट्रार में किसी व्यक्ति के परिवर्तन के लिए आवेदन (नियम 104)

प्ररूप अ.डि-1

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 8(1), नियम 22)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

म(नामों)²
धारी होने

अभिन्यास डिजाइन¹.....का रजिस्ट्रीकरण.....के नाम
जिसका (जिनका)पता (पते)³.....है, जो उक्त अभिन्यास डिजाइन के स्वत्व
का दावा करता है/करते हैं, करने के लिए आवेदन किया जाता है।

अभिन्यास डिजाइन से संबंधित विशिष्टियों का सम्पूयक रूप से भरा हुआ विवरण इसके साथ संलग्न है ।

विशिष्टियों के संलग्न विवरण में अधिकथित विशिष्टियाँ मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

आज तारीख मास 20

4

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन,
अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय
..... में⁵

1. अभिन्यास डिजाइन का नाम

2. आवेदक का पूरा नाम, निवास तथा राष्ट्रीयता का उल्लेख करना होगा । डिजाइन निम्न पर फर्म होने की दशा में यथास्थिति निगमन के देश या फर्म गठित करने वाले भागीदारों के नाम तथा रजिस्ट्रीकरण की एकति यदि कोई हो तो कथित की जानी चाहिए । निम्न देखें ।

3. आवेदक द्वारा भारत में उसके कारबार के प्रधान स्थान का पता अवश्य लिखा जाए । नियम 3 तथा 16 देखें ।

4. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति । धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर

5. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं । नियम 4 देखें ।

विशिष्टियों का विवरण

(प्ररूप अ.डि-1 देखें)

1. आवेदन सं. (अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री द्वारा भरा जाएगा):
2. अभिन्यास डिजाइन का नाम
3. उस अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ का वर्गीकरण जिसका विनिर्माण अभिन्यास डिजाइन का प्रयोग करके किया जा सकता है।
 - i. ढाँचा¹
 - ii. तकनीक²
 - iii. कृत्य³
4. अभिन्यास डिजाइन का संक्षिप्त वर्णन
5. क्या अभिन्यास डिजाइन का वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया गया है (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो वह स्थान/देश

आज्ज. तारीख

मास

20

6. संलग्न दस्तावेज

- i आरेख/फोटोग्राफ (तीन सेट)
- ii अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ (4 नग)

(जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित अभिन्यास डिजाइन का प्रयो

एकीकृत परिपथ का निर्माण किया गया है)

iii. निश्चित फीस-के-ब्योरे

iv. अन्य

7. अभिकर्ता का नाम तथा पता

8. अन्य, यदि कोई हो,

स्थान:

तारीख:

1. ढाँचे के अंतर्गत द्विघुवीय, एमओएस, वाई- अंतर्गत एमओएस-प्रकाशिक आईसी, अन्य (विनिर्दिष्ट करें), जैसे ढाँचे के ब्यौरे देना है।
2. तकनीक के अंतर्गत टीटीएल, डीटीएल, सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस, अन्य (विनिर्दिष्ट करें) जैसे तकनीकी ब्यौरे देना है।
3. कृत्य के कृत्या लॉजिक, मेमोरी, लीनियर, माइक्रो कम्प्यूटर, अन्य (विनिर्दिष्ट करें) जैसे कार्यात्मक ब्यौरे देना है।
4. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता, या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति। धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर

प्ररूप अ.डि.-2

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रति विरोध की सूचना

(धारा 11(1), नियम 33)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

.....द्वारा आवेदन सं.....के मामले में मैं(हम) ¹..... अर्द्धचालक
 एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जरनल
 दिनांक.....मास.....20.....सं.....पृष्ठ.....में उपर्युक्त संख्यांक. के
~~अधीन विज्ञापित अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने~~
 के अपने आशय की सूचना देता हूँ/देते हैं।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं^{2,3}

.....

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्र चार भारत में निम्नलिखित पते पर किया जाए⁴

आज तारीखमास.....20.....

⁵

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन,
 अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन का रजिस्ट्री कार्यालय
 रजिस्ट्री.....में⁶

1. पूरा नाम तथा पता बताएँ। यदि विरोध का भारत में कारबार का निवास का कोई स्थान है तो भारत में तामील के लिए का कोई पता बताएँ।
 2. यदि विरोध इस आधार पर है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित अभिन्यास डिजाइन मौलिक नहीं है तो सबूत/ब्यौरे/विवरण प्रस्तुत करें।
 3. यदि विरोध इस आधार पर है कि वह अभिन्यास डिजाइन उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक की पसंद के अनुसार से नहीं है, यद्यपि के लिए गणितीय रूप से उपयोग किया गया है तो उसके सबूत प्रस्तुत करें।
 4. केवल ऐसे विरोधकर्ता द्वारा बताया जाए जिसने भारत में अपने कारबार का मुख्य स्थान का या निवास का पता दिया है किंतु विरोध की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए भारत में उस पते से भिन्न अन्य पता देना चाहता है।
 5. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति। धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर।
- भारतीय अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समन्वित कार्यालय के स्थान का नाम बताएँ।

प्ररूप अ.डि.-3

प्रतिकथन का प्ररूप

(धारा 11(2), नियम 34, 64)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सं.....

के प्रति विरोध/रद्दकरण के मामले में

इन के
लिखित

मैं/हम¹ उपर्युक्त अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के लिए इसके द्वारा सूचना देता हूँ/देते हैं कि निम्न आधार हैं जिनका मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के लिए आश्रय लेता हूँ/लेते हैं।

करते हैं।

मैं/हम¹ विरोध/रद्दकरण की सूचना में निम्नलिखित अभिकथनों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

पर किया जाए।

इन कार्यवाहियों के संबंध में सभी पत्राचार भारत² में निम्नलिखित पते

आज तारीख..... मास..... 20.....

3

सेवा में,

1. पूरा नाम तथा पता बताएँ। यदि विरोधकर्ता का भारत में कारबार का या निवास का कोई स्थान नहीं है तो भारत में तामील के लिए कोई पता बताएँ।
2. केवल ऐसे विरोधकर्ता द्वारा बताया जाए जिसने भारत में अपने कारबार का मुख्य स्थान का या निवास का पता दिया है किंतु विरोध की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए भारत में उस पते से भिन्न कोई अन्य पता देना चाहता है।
3. आवेदक या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या आवेदक के एकमात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति। धारा 84 देखें) के हस्ताक्षर
4. जो लागू न हो उसे काट दें।
5. अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या समनुदेशन या पारेषण के मामले में प्रतिकथन अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड को संबोधित किया जाएगा (नियम 69 देखें) और रजिस्ट्रीकरण का विरोध करने के मामले में अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा (नियम 33(2) देखें)

परूप अ दि -4

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

समवाह में हाजि होने के आग्रह की सूचना

(धारा 11(30) नियम 41(6) 62)

(सिने प्रारम्भिक भाग चयन)

प्ररूप अ.डि.-6
लिपिकीय भूल या संशोधन के लिए अनुरोध
(धारा 8(3), 12 और 31 नियम 28, 62, 68)

.....के मामले में¹ मैं/हम²..... जो उपर्युक्त
 मामले में आवेदक हूँ/हैं, इसके द्वारा
 विरोध करने वाली (वोल)
 रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता

अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि

³अनुरोध की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता
 (उपयोगकर्ताओं) पर तामील कर दी गई है ।

तारीख आज मास 20.....

4

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन,
 अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय
में⁵

1. वे शब्द और संदर्भ संख्या लिखें जिनसे प्रविष्टि या आवेदन या विरोध की पहचान हो ।
2. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

3. आवेदक को न हो 'काट दें' ।

4. हस्ताक्षर ।

5. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के कार्यालय के स्थान ।

प्ररूप अ.डि.-7

शपथपत्र (नियम 49 के अधीन अनुरोध के समर्थन में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा)

(नियम 49)

मैं¹, जो का हूँ सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूँ कि मामले में परिवर्णित तथा की बाबत² अभिन्यास डिजाइन सं..... के संबंध में मेरे समक्ष निक्षिप्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और अभिन्यास डिजाइन की वर्तमान स्वत्वधारिता को

3

में

तारीख आज मास 20..... मेरे समक्ष⁴.....

1. अभिसाक्षी का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता लिखें ।
2. संबंधित कार्यवाहियों की विशिष्टियाँ लिखें ।
3. घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।
4. उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम जिसके समक्ष शपथ ली जाती है । भारत में किसी करने का प्राधिकार है या के समक्ष शपथ ली जा सकती है । भारत में बाहर शार्वेयिक और कौमलीय ऑफिसियर अधिनियम 1948 (1948-पा-41) के अर्थानुसार मेरे देश या या कौमलीय ऑफिसर के समक्ष या रथाव के नोटरी के समक्ष यदि स्थान के नोटरियो द्वारा नोटरी के कार्य नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 14(1952 का 53) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

प्ररूप अ.डि.-8

कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिजाइन के समनुदेशन के
विज्ञापन के निदेश के लिए आवेदन
(धारा 22 नियम 53(1))
(दो प्रतियों में भरा जाए)

कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा निम्नलिखित अभिन्यास डिजाइन के
समनुदेशन के विज्ञापन के संबंध में¹ द्वारा रजिस्ट्रार के निदेश के लिए इसके
द्वारा आवेदन किया जाता है जिसमें इसका प्रयोग किया गया था/किया गया, अर्थात् -

अभिन्यास डिजाइन सं.....

कार्य की तारीख.....मास.....20.....थी ।

~~इस समनुदेशन के प्रभाव के तहत ये लिखित इसका एक प्रतिलिपि साइट इसके साथ
भेजी जा रही है ।~~

क विज्ञापन अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन
जाएगा ।

पी पत्र (चार) भारत में निम्नलिखित पते पर किए जाएंगे

.....

मास.....20.....

²

यह सुझाव दिया जाता है कि
जरनल.....में भेजा

इस आवेदन से संबंधित सभ

.....

.....

आज तारीख.....

सेवा में,

प्ररूप अ.डि. -9

कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिज़ाइन के समनुदेशन के विज्ञापन के लिए
रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए आवेदन करने की समय सीमा के विस्तार का आवेदन
(धारा 22 नियम 53(2))

कारबार की गुडविल के संबंध में जिसमें इसका¹ उपयोग किया गया/जा रहा था, से भिन्न अन्यथा निम्नलिखित
अभिन्यास डिज़ाइन के समनुदेशन के विज्ञापन के लिए जिस समय में रजिस्ट्रार के निदेशों के लिए आवेदन
किया जाता है _____ माह का समय² विस्तारित के लिए _____ के
द्वारा 3 आवेदन किया जाता है अर्थात:

अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----

समनुदेशन की तारीख ----- माह ----- 20 ----- थी

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्राचार भारत में निम्नलिखित पते पर किए जाएंगे

आज ----- माह ----- तारीख ----- 200

4-----

----- सभा म, -----

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का

----- कार्यालय में

शती (आवेदक) का नाम और पता लिखें

में 'तीन' लिखें

लागू न हो काट दें

या उसके अभिकर्ता (विधि व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन अभिकर्ता या

ग्राह और नियमित नियोजन में व्यक्ति (धारा 84) देखें के हस्ताक्षर

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएं

1. समनुदेशन

2. 'एक' 'द

3. शब्द जो

4. आवेदक

आवेदक के पक्ष

5. अर्द्ध चालक

करें-। नियम -4 देखें

प्ररूप अ. डि. संख्या - 10

अभिन्यास डिज़ाइन के उसी नाम पर किसी पश्चातवर्ती स्वामित्व को रजिस्टर करने का अनुरोध
(धारा 23 नियम 47)

मैं/हम1 -----अनुरोध करते हैं कि -----से2 ---- अभिन्यास डिज़ाइन सं----- के स्वत्वधारी के रूप में अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्टर में मेरे/हमारे नाम प्रविष्ट किए ।

----- के कारण3 मैं (या हम) अभिन्यास डिज़ाइन के लिए हकदार हूँ/ हैं, जिसकी मूल और अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है ।

उस कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अन्यथा अभिन्यास डिज़ाइन4 का समनुदेशन नहीं किया गया था जिसमें अभिन्यास डिज़ाइन4 का उपयोग किया जा रहा/गया था (और इसके साथ समनुदेशन को विज्ञापित करने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों की एक प्रति उसके साथ अनुपालन करने वाले प्रत्येक विज्ञापन की एक प्रति भेजी जा रही है ।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि यहाँ अधिकृत तथा और मामले मेरे संपूर्ण ज्ञान, सूचना और विश्वास

आज -----तारीख -----माह -----20

5-----

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्टर का -----6
कार्यालय

1. आवेदक का पूरा नाम, भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो राष्ट्रीयता और वर्णन लिखें, यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास स्थान यदि कोई हो, का पता बताएँ। यदि भारत में निवास का भी कोई स्थान है ही नहीं तो विदेश में अपने गृह देश का पता बताएँ और भारत में तामील के लिए पता बताएँ ।
2. स्वत्वधारिता के अधिग्रहण की तारीख बताएँ ।

3. समनुदेशन लिखत या प्रारेषण यदि कोई हो, या मामले के विवरण की संपूर्ण विशिष्टियाँ लिखे ।
4. जो शब्द लागू न हो काट दें ।
5. आवेदक के हस्ताक्षर
6. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम बताएँ।

नियम 4 देखें

प्ररूप अ. डि. संख्या - 11

आप पीएस डिज़ाइन की उस नाम प्रति किता परस्थलीधला स्वत्वधारा क संप म अनितरीत की रजिस्ट्रार के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और अंतरिती द्वारा संयुक्त अनुरोध
(धारा 23 नियम 47)

नियम 47 के अधीन हम1 ----- और2 ----- अनुरोध व
हैं कि-----स्थान5 पर जो----- के रूप 4म कारबार चला रहे हैं, वे
की3 -----से 6 -----के-----आकर पर7 अ
डिज़ाइन के रजिस्टर में अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----के स्वत्वधारी के रूप में
की जाए -----जिसकी मूल और प्रमाणित प्रतियाँ इसके साथ संलग्न हैं ।

उस कारबार की गुडविल के संबंध से भिन्न अभिन्यास डिज़ाइन का समनुदेशन 8
किया गया था जिसमें अभिन्यास डिज़ाइन 8 का उपयोग किया जा रहा/गया था (और इसके साथ सम
को विज्ञापित करने के लिए रजिस्ट्रार के निदेशों एक प्रति, अनुपालन करने वाले प्रत्येक विज्ञापन क
प्रति और उनसे युक्त किसी भी विज्ञापन के जारी होने की
तारीख का विवरण) भेजा जा रहा है।

हम घोषणा करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और विषय हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना और विश्वास
के अनुसार सही हैं ।

आज -----तारीख -----माह -----20

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन ।

पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का -----
कार्यालय ।

राष्ट्रीयता ।

2. अंतरिती का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता

3. अंतरिती का नाम ।

4. अंतरिती का वर्णन (आजीविका और व्यवसाय) ।

5. अंतरिती का भारत में कारबार के मुख्य स्थान, यदि कोई हो, का पता । यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास स्थान का पता बताएँ । यदि भारत में निवास कोई स्थान है ही नहीं तो विदेश में अपने गृह देश का पता और भारत में तामील का पता बताएँ ।

6. स्वामित्व के अधिग्रहण की तारीख

7. समनुदेशन की लिखत या पारेषण, यदि कोई हो, या मामले के विवरण की पूर्ण विशिष्टियों का उल्लेख करें ।

8. जो पद्वत नाम न हो कार में जो पद्वत नाम न हो कार में

9. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित-रजिस्ट्री कार्यालय के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखे ।

प्ररूप अ. डि. -12

रजिस्टर के परिशोधन के लिए आवेदन

(धारा 30 तथा 48 (1) नियम 63)

(मामले के विवरण की दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में भरा जाए और इसके साथ उतनी प्रतियां व

जितने रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं)

के मामले में ।

के नाम में अभिन्यास डिज़ाइन सं. -----

लिखित अभिन्यास डिज़ाइन
किया जाए।

मैं/हम 1 ----- आवेदन करते हैं कि ऊपर उलि
की बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि को निम्नलिखित रीति में (हटाया) / (परिशोधित) 2

मेरे/हमारे आवेदन के आधार निम्नलिखित हैं

-----3 अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री
कार्यालय ने इस अभिन्यास डिज़ाइन के संबंध में समुचित कार्यालय के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली
गई है ।

प्रश्नगत अभिन्यास डिज़ाइन से संबंधित में न्यायालय में कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है ।

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी ससूचनाएँ भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाएँ ।

आज सादर

नामीत

20

हस्ताक्षर

सेवा में,
अभिन्यास डिज़ाइन अपील बोर्ड

या

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन ।

अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन का रजिस्ट्री -----6 पर
कार्यालय ।

1. पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता बताएँ । यदि आवेदक का भारत में कारबार या निवास के स्थान का कोई पता नहीं है तो भारत में तामील के लिए पता का उल्लेख करें । नियम 17 देखें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें ।
3. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित रजिस्ट्री कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखें
4. केवल उस आवेदक द्वारा बताया जाए जिसने भारत में कारबार या निवास के मुख्य स्थान का पता है किन्तु इन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए भारत इस में पते से भिन्न पते को देने की वांछना करता है ।
5. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के समुचित रजिस्ट्री कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखें

प्ररूप अ. डि. -13

रजिस्ट्रीकृत उपयोग कर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(धारा 25 नियम 55)

(रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के बीच लिखित रूप में करार या उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति, धारा 55(1) में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़, नियम 55(2) की अपेक्षानुसार विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए शपथ-पत्र और विवरण और पूर्वोक्त प्रत्येक दस्तावेज़ की दो प्रतियों सहित तीन प्रतियों में भरा जाए।)

-----1 के द्वारा जो -----2की बाबत -----
अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----का /के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी है/हैं, द्वारा आवेदन किया
जाता है और -----द्वारा3 -----कि उपर्युक्त कथित
4-----को ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत
उपयोगकर्ता के रूप में निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों 5के अध्वधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

6/ प्रस्तावित अन्ततः उपयोग तारीख ----- माह ----- 20 को समाप्त होगी।)

प्रस्तावित अन्ततः उपयोग तारीख को समाप्त होने के बाद

न माह-----तारीख-----20

7-----

8-----

सेवा में,

अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्रार,

-----पर 9अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता बताएँ।
2. रजिस्ट्रार के अनुसार विनिर्देश लिखें।

3. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पूरा नाम तथा पता, यदि कोई हो राष्ट्रीयता, और वर्णन भरें। यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास स्थान, यदि कोई हो तो का पूरा वर्णन। यदि भारत में कोई निवास स्थान ही न हो

तो विदेश में अपने गृह देश का और भारत में तत्पक्ष के निवास पता बताएं।

4. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का नाम लिखें।

5. यदि कोई शर्त या निर्बंधन हो तो कुछ भी नहीं लिखें।

6. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

7. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

8. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नियम-4 देखें।

प्ररूप अ. डि. -14

अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अभिन्यास डिज़ाइन किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा

उसके रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रद्दकरण के लिए आवेदन

(धारा 26(1)(क) नियम 58)

(आवेदन के आधारों का तीन प्रतियों में विवरण सहित तीन प्रतियों में भरा जाए)

जो

उपर

रजिस्ट्रीकृत

-----की बाबत अभिन्यास डिज़ाइन सं.-----का

(रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी) - 2 - (रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता) 2 के द्वारा

उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण के अधीन 4 अभिन्यास डिज़ाइन के रजि

उपयोगकर्ता के रूप में प्रविष्टि को रद्द करवाने के लिए आवेदन किया जाता है।

आवेदन के आधार साथ वाले अभिकथन में दिए गए हैं।

आज तारीख -----मास-----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----5पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

का कार्यालय

रजिस्ट्री

का पूरा

लये के

1 आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम और पता लिखें।

2. जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

3. रजिस्टर में जैसी विशिष्टियाँ हैं, भरें।

4. उस रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, जिसकी प्रविष्टि और रद्दकरण की माँग की गई है, नाम और पता।

5. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय स्थान के नाम उल्लेख करें। नियम -4 देखें।

अ. डि. प्ररूप -15

अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन

(धारा 26(1) (ख) या (ग) नियम 58)

विवरण सहित

(आवेदन के आधारों का तीन प्रतियों में तीन प्रतियों में भरा जाए)

1. मैं रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन में निम्नलिखित जानकारी दे रहा हूँ।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप

-----2 के द्वारा अभिन्यास डिज़ाइन के

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में

-----2 के द्वारा रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन

रद्दकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

के साथ दिए गए विवरण में विस्तृत

आवेदन के आधार, जिनकी विशिष्टियाँ मामले

-----।

----- रूप में दी गई हैं, निम्न हैं 4-----

निलिखित पते पर भेजे जाएं।

इन कार्यवाहियों से संबंधित सभी पत्राचार भारत में निम्न

आज तारीख -----मास -----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में,

परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ

के एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----6पर अर्द्ध चालक

रजिस्ट्री का कार्यालय

न भरें।

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरें।

न भरें।

2. रद्दकरण के लिए आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता भरें।

रजिस्ट्रार के मुख्य स्थान

3. रजिस्ट्रार में यथा प्रविष्ट रजिस्ट्री उपयोगकर्ता का नाम, पता और वर्ण

जन के लिए उस पते

4. धारा 26(1) के उप खंड (ख) की एक या एक से अधिक बातों व

5. केवल उस आवेदक द्वारा उल्लेख किया जाए जिसने भारत में क

या निवास के पते का उल्लेख किया है किन्तु इन कार्यवाहियों के प्रयो

से भिन्न पता को देना चाहता है।

संयुक्त कार्यालय के

6. अर्द्ध देखेचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के

स्थान की नाम का उल्लेख किया है। नियम -4 देखें

प्ररूप अ. डि. -16

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के आशय की सूचना

(रिपब्लिक 61(2))

(हस्तक्षेप के आधारों का तीन प्रतियों में विवरण सहित तीन प्रतियों में भरा जाए 1)

1 के नाम में रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन सं. के मामले में

और

2 के नाम में रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन सं. के उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रेशन के मामले में मैं/हम उपर्युक्त मामले की कार्यवाहियों में अपने/हमारे हस्तक्षेप करने के आशय की सूचना देते हैं।

इन कार्रवाहियों से संबंधित सभी मामलों के निष्पत्ति के बारे में सूचनाएं

का उल्लेख करें। देखें नियम 4

अ. डि. प्ररूप . 17

अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता) के नाम या वर्णन के परिवर्तन की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध
(धारा 31 नियम 62,68)

मैं/हम-----इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ/ (करते हैं) कि मेरा/(हमारा) नाम और वर्णन अभिन्यास डिज़ाइन संख्यांक 3 ----- के स्वत्वधारी/रजिस्ट्रीकृत के रूप में प्रविष्टि किया जाए ।

~~मैं/हम इस अभिन्यास डिज़ाइन का-----के रूप में प्रयोग करने के लिए हकदार हूँ/हैं ।~~

~~उक्त अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के वास्तविक स्थापित 2/ पहचान में~~

रजिस्टर में जो प्रविष्टि इस समय है उसमें मेरा/हमारा नाम और वर्णन निम्नलिखित रूप में हैं :-

इस अनुरोध की एक प्रति की तामील प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं/स्वत्वधारियों पर कर दी गई है ।

आज तारीख-----मास-----20

हस्ताक्षर⁵

हस्ताक्षर करने वाले का नाम
स्पष्ट अक्षरों में

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

-----6पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का वर्तमान नाम और पता लिखें ।
2. जो शब्द लागू न हों उसे काट दें ।
3. वे परिस्थितियाँ बताएं जिनके अधीन नाम का परिवर्तन हुआ ।
 4. जो लागू न हो उसे काट दें ।
 5. आवेदक के या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।
 6. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें। नियम 4 देखिए ।

प्ररूप अ. डि. . 18

(रजिस्टर में अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता) के नाम या वर्णन के परिवर्तन की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध)

(रजि. अभिन्यास डिजाइन सं. 62/80/00)

अभिन्यास डिजाइन सं. -----के मामले में

मै/हम -----के ----- यथोपरि संख्यांकित अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता हैं/हैं ।

मेरा/हमारा भारत में कारबार का मुख्य स्थान/निवास स्थान का पता या गृह देश मेरा/हमारा पता अभिन्यास डिजाइन रजिस्टर में निम्नवत परिवर्तित किया जाए

पते में परिवर्तन का आदेश -----के द्वारा तारीख-----मास-----20को किया गया था । आदेश की शासकीय प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है ।

इस अनुरोध की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता पर तामील कर दी गई है ।

आज तारीख-----मास-----20

5.-----

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----6पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें ।

3. यदि लागू न हो तो काट दें ।

4. ~~रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर ।~~

5. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/उपयोगकर्ता या उसके अधिकर्ता के हस्ताक्षर ।

6. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान

~~का पता पता उल्लेख करें नियम 62,67,68~~

अ. डि. प्ररूप -19

(अभिन्यास डिज़ाइन के ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा जिसका भारत में कारबार का मुख्य स्थान नहीं है, उसके रजिस्ट्रीकरण के भाग रूप में भारत में तामील के लिए पते की प्रविष्टि या परिवर्तन या प्रतिस्थापन करने के लिए अनुरोध का प्ररूप)

(नियम 62,67,68)

-----1 के द्वारा जो अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता है 2 भारत में तामील के लिए पते या उस की प्रविष्टि का इस प्रकार परिवर्णन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया गया है ताकि भारत में तामील के लिए पता----- पढ़ा जाए ।

आज तारीख -----मास -----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन,

-----5.पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

टिप्पण : रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता जिसका भारत में तामील के लिए पता किसी लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार परिवर्तित किया गया है परिवर्तित पता से वही परिसर अभिहित है जो पहले था, भी फीस के संदाय से बचने के लिए, एक विवरण दे सकेगा, जिसके लिए इस प्ररूप के पृष्ठ भाग पर उपबंध है ।

(इस प्ररूप के पृष्ठ भाग पर होगा)

(केवल उस दशा में प्रयोग किया जाए जब लोक प्राधिकारी ने परिसर में परिवर्तन के बिना ही भारत में तामील के लिए पता परिवर्तित कर दिया है)

भारत में तामील के लिए पता में परिवर्तन जिसकी प्रविष्टि के लिए इस प्ररूप के मुख पृष्ठ पर आवेदन किया गया है आदेश-----6 द्वारा -----तारीख -----मास

20 के की गई है। यह आदेश की शर्तों के अनुसार प्रमाणित पता इसके साथ संलग्न है।

आज तारीख ----- मास ----- 20 -----

प्रमाणित पता परिवर्तित किया जाएगा और नाम परिवर्तन का आदेश देना होगा।
आदेश के अनुसार प्रमाणित पता का पता परिवर्तित किया जाएगा।
यह आदेश देना होगा और यह आदेश देना होगा।
किसी परिवर्तन का आदेश देना होगा।

1. यहाँ अनुरोध करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता लिखें ।
2. यथास्थिति स्वत्वधारी या उपयोगकर्ता शब्दों में एक शब्द काट दें ।
3. जो शब्द लागू न हो काट दें ।
4. यहाँ पर संक्षिप्त प्रविष्टि या वांछित परिवर्तित प्रविष्टि लिखें ।
5. परिवर्तन का आदेश देने वाले लोक प्राधिकारी का नाम और आदेश भी लिखें ।
6. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के के समुचित कार्यालय स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम 4देखें

प्ररूप अ. डि. संख्या 20

(अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन)
(धारा 31(1)(ग) नियम 68)

अभिन्यास डिज़ाइन संख्या----- के मामले में -----रजिस्ट्रीकृत में स्वत्वधारी
का नाम ----- रजिस्टर में यथा प्रविष्टि -----पता-----

पूर्वोक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन किया जाता है कि अभिन्यास डिज़ाइन सं----- के
रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को रद्द किया जाए ।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं पर आवेदन एक प्रति 1 तामील कर दी गई है ।

आज तारीख-----मास ----- 20

2-----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----3 पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय ।

1. यदि लागू न हो तो काट दें ।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
3. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें । नियम -4देखें

प्ररूप अ.डि. -21

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करता है
अभिन्यास डिज़ाइन की मौलिकता या सुभितता के बारे में रजिस्ट्रार को प्रारम्भिक सलाह के लिए अनुरोध

(धारा 78 नियम 21)

मैं/हम, _____, रजिस्ट्रार से मुद्रा/दम या सलाह देने का अनुरोध करता हूँ कि क्या प्रदान
अभिन्यास डिज़ाइन के अर्थमूलक या मौलिक प्रतीक होता है जो कि अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के
रजिस्ट्रार के अधिनियम की धारा 78 उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षा का अनुपालन करता है।
रजिस्ट्रार की सलाह भारत में अभिन्यास डिज़ाइन पर भरोसा करने के लिए

आज तारीख -----मास -----20

3.-----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----4पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय । नियम
-4 देखें

1. पूरा नाम और पता लिखें
2. यदि 1 पर दिए गए पते का स्थान भारत में नहीं है तो उल्लेख करें
3. हस्ताक्षर
4. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें । नियम -4 देखें

प्ररूप अ. डि. 22

रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध
(धारा 80 और 87 नियम 88,89)

अभिन्यास डिजाइन संख्या— के मामले में 1

में / हम 2— रजिस्ट्रार से अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि मुझे/ हमें उस आशय की उसकी
से 3— 4— में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणित करने में उसने के लिए अभिन्यास डिजाइन के प्रमाणित
प्रमाण पत्र 5— एक प्रमाणित की जाए।

प्रमाण पत्र / प्रमाणित प्रति भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए

आज तारीख— मास— 20

हस्ताक्षर—

सेवा में

रजिस्ट्रार, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन
8 पर अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय

1. इन शब्दों में अन्य मामलों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।
2. अनुरोध करने वाले व्यक्ति का नाम पता और राष्ट्रीयता लिखें
3. जो शब्द लागू न हों उसे काट दें
4. वे डिजिटल उद्घोषित करें जिसको प्रमाणित करने के लिए रजिस्ट्रार को अपेक्षा की जाती है या उस उद्घोषित की विशिष्टियों बताएं जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है।
5. जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें
6. देश का नाम लिखें
7. केवल वहाँ लिखा जाए जहाँ दिया हुआ पता भारत में नहीं है।
8. रजिस्ट्रीकृत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें। नियम-4 देखें

अ. डि. प्ररूप-23

समय के विस्तार के लिए आवेदन

(एक ऐसा समय जो अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है या ऐसा समय है जिसका विस्तार करने के लिए नियम में उपबंध किया गया है)

(धारा 72 (ग) नियम 84)

_____ के मामले में 1

में (हम) 2 _____ जो उपर्युक्त मामले में _____ हूँ (हैं) का निम्नलिखित आधार पर

4 _____ के लिए _____ समय के लिए आवेदन करता हूँ (करते हैं) _____

आज तारीख _____ मास _____ 20 _____

5 _____

सेवा में

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

8 पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय

1. यहाँ वे शब्द और संदर्भ संख्यांक लिखें जिससे उस मामले के जिसकी बाबत आवेदन किया गया है ।
2. पूरा नाम और पता लिखें ।
3. समय विस्तार की ।
4. वह प्रयोजन लिखें जिसके लिए समय विस्तार अपेक्षित है ।
5. हस्ताक्षर
6. रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के कार्यालय समक्ष के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम 4 देखें

प्ररूप अ. डि.-24

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन
(तीन प्रतियों में विवरण सहित तीन प्रतियों में भरा जाए- नियम 84 के)
(धारा 72 (ग) नियम 84)

_____ के मामले में 1.

मैं (हम) 2 _____ जो उर्पयुक्त मामले में _____ हूँ (हैं) 4 _____ रजिस्ट्रार
को उनके तारीख _____ मास _____ 20 में उर्पयुक्त मामले में इस विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए
आवेदन करता हूँ / करते ।

यह आवेदन किए जाने के आधार संलग्न कथन में दिए गए हैं

आज तारीख _____ मास _____ 20 _____

3 _____

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

4 पर रजिस्ट्रीकृत अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. यहाँ वे शब्द और संदर्भ संख्यांक लिखें जिससे उस मामले जिसकी बाबत आवेदन किया गया है ।

2. पूरा नाम और पता लिखें ।

3. हस्ताक्षर

4. रजिस्ट्रीकृत अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन समिति के कार्यालय के रूप में उपर्युक्त

करें । नियम 4 देखें

प्रमाण पत्र दि. 25

वर्ष 2013-14

अनुसंध

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की दूसरी या और प्राप्ति के लिए
(नियम 46 (2))

अभिज्ञाना दिनांक 25

मैं / हमें

रजिस्ट्रार के आग्रह कर रहा हूँ / कर रहे हैं कि मुझे / हमें

पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी

की आवश्यकता 13 की उप धारा (2) के अधीन मुझे / हमें जारी किए

आज तारीख

मास

20

(आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

सेवा में,

रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

स्वत्वधारी की नाम और पता लिखें।

हो उसे काट दें।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का
। नियम 4 देखें

1. रजिस्ट्रीकृत
2. जो लागू न
3. अर्द्धचालक
उल्लेख करें

प्ररूप अ. डि.-26

(धारा 42 के उपधारा (3) के अधीन अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील)

(धारा 42 (3) नियम 74)

अपीलार्थी का नाम और पता—

प्रत्यर्थी का नाम और पता—

उस आदेश और विनिश्चय की विशिष्टियाँ जिसके विरुद्ध अपील की जाने हैं—

अपील के आधार—

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अपीलार्थी सत्यापित करता हूँ कि—

आधारों की अन्तर्वस्तु मेरे निजी ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य

है तथा

आधारों की अन्तर्वस्तु मुझे दी गई विधिक सलाह पर आधारित है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आज तारीख मास 20 को सत्यापित किया गया।

हस्ताक्षर

सेवा में

अभिन्यास डिजाइन अपील ब

प्ररूप अ. डि.-27
(स्वामिस्व के अवधारण के लिए आवेदन)
(धारा 40 (2) नियम 73 (1))

अभिन्यास डिजाइन की संख्या जिसकी बाबत आवेदन किया गया है —————

आवेदकका नाम और पता—————

विरोध पक्षकार का नाम और पता—————

स्वामिस्व के समर्थन में तथ्य और आधार संक्षेप में —————

_____ में उल्लिखित अभिन्यास डिजाइन के धारा 18 की बाबत उपधारा (1) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों निष्पादित करने या निष्पादित किए जाने का निदेश दिए जाने से उद्भूत फायदा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सेवा में,
अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड ।

प्ररूप अ. डि.-28

(अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड के समक्ष अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 40(3) के अधीन विरोध)
(धारा 40 (3) नियम 73(2))

उस आवेदन की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है —————

आवेदक का नाम और पता—————

विरोधी पक्षकार का नाम और पता—————

विरोध के आधार —————

विरोधी पक्षकार के हस्ताक्षर

सेवा में,
अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

प्ररूप अ. डि.-29

(रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के प्रयोग की अनुज्ञा के अपील बोर्ड के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध)

F.4(3) अनु. 29 नियम 12)

अभिन्यास डिजाइन सं. _____

मैं / हम 1 _____ जो अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ / हैं धारा 51 की उपधारा

(1) के अधीन पूर्वोक्त अभिन्यास डिजाइन के प्रयोग की अनुज्ञा देने वाले अपील बोर्ड के तारीख _____ मास _____

20 के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित आधार पर अनुरोध करता हूँ / करते हैं अनुरोध

हस्ताक्षर

सेवा में

अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

1. रजिस्टर में यथा उल्लिखित नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

30
विस्तार के लिए आवेदन)
न 33(2)

प्ररूप अ. डि. सं.-:

विरोध की सूचना देने के लिए समय के
(धारा 11(1) नियम

अभिन्यास डिजाइन सं. _____ के मामले में

मैं / हम 1 _____ तारीख _____ मास _____
एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जनरल में उपर्युक्त संख्यांक
अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना देने
आवेदन करता हूँ / करते हैं ।

यह आवेदन देने के कारण निम्नवत् हैं -

इस आवेदन से संबंधित सभी पत्राचार भारत में 3 निम्नलिखित पते किए जाएं

आज _____ तारीख _____ मास _____ 20

हस्ताक्षर _____

सेवा में

रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

4 पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. पूरा नाम और पता लिखें
2. समय विस्तार की अपेक्षित अवधि लिखें जो अर्द्धचालक, एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जर्नल में आवेदन के विधिवत विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख 3 मास से 1 मास अधिक नहीं होगी।
3. यदि दिया गया पता भारत के भीतर का पता नहीं है तो उल्लेख किया जाए।
4. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का उल्लेख करें नियम-4 देखें

प्रारूप अ.डि. सं.-31

(रजिस्ट्रार को अभिन्यास डिजाइन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए अनुरोध)

(नियम 32)

मैं / हम 1 अनुरोध करते हैं कि मुझे / हमें वह तारीख सूचित किया जाए जिसको के नाम में आवेदन संख्या के अधीन रजिस्टर किए जाने के लिए वांछित अभिन्यास डिजाइन अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन जर्नल में विज्ञापित किया जाता है।

आज तारीख मास 20

आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

सेवा में

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

4 पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

ता भारत में किया जाएगा, का 6 वर्ष। उल्लेख किया जाए।

परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम उल्लेख करें

1. पूरा नाम और पता लिखें

2. यदि दिया गया पता

3. अर्द्धचालक एकीकृत

नियम-4 देखें

प्ररूप अ.डि 32

अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले में अपील करनेवाले व्यक्ति को जमानत का प्रत्यक्ष रूप पर

(धारा 84, नियम 20)

(तत्काल प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित लगाया जाए)

मैं / हम 1 के लिए मेरे / हमारे अधिकारी को जमानत करने के लिए मैं / हमें प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि उससे संबंधित सभी संचालन, आदेशों और संचालन ऐसे अधिकारी उपर्युक्त पत्र पर भेजे।

मैं / हम कार्यवाही की बाबत सभी पूर्ववर्ती प्राधिकारण यदि को है, इसके द्वारा प्रतिसंहत करता हूँ / करते हैं।

4

सेवा में

रजिस्टार अर्द्धचालक एकीकृत परिपत्र अभिन्यास दिवादन रजिस्ट्री

1. पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपत्र अभिन्यास दिवादन रजिस्ट्री का कार्यवाही

सो सदस्य जहाँ भी है।

પ્રરૂપ અ.ડિ.૩૩

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण या उसके समनुदेशन या संबंधित उससे पारेषण के स्वरूप के लिए आवेदन
(धारा 41 नियम 69)

----- रजिस्टर में यथाप्रविष्ट ----- पते ----- के नाम रजिस्ट्रीकृत
अभिन्यास डिजाइन संख्या _____ के मामले में

में / हम 1----- उपर्युक्त अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत 2 / समनुदेशन / पारेषण के रद्दकरण की सूचना देता हूँ / देते हैं।
रद्दकरण के आधार निम्नवत् हैं 3,4-----

आज _____ तारीख _____ मास _____ 20 _____

हस्ताक्षर-----

सेवा में
अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

भेक नहीं है या उसके रजिस्ट्रीकरण के
ए उसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग

प्र. (1) का खण्ड (ख) देखें) के प्रतिकूल

प्रभिन्यास डिजाइन के आवेदन के
साह अधिक नहीं होगी ।

प्रति कार्यालय के स्थान का उल्लेख करें

2. जो लागू न हो उसे काट दें
3. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आधार यह है कि अभिन्यास डिजाइन मौलिकता के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख से 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी किया गया है तो उसका सबूत / व्यौरा दें (धारा 7 देखें)
4. यदि समनुदेशन / पारिषण विधि के किसी उपबंध (धारा 41) की उपप्राप्ति नहीं है तो उसका सबूत / व्यौरा दें ।
5. समय बढ़ाने की अपेक्षित अवधि भारे जो अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ के विज्ञापन या पुनःविज्ञापन की तिथि, जैसा भी मामला हो 3 महीने से 1 वर्ष तक हो
6. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत समुचित रूप से देखें नियम-4

प्रसूपांजिड 234

निम्नलिखित अभिन्यास डिजाइन के आधारों की रजिस्ट्रेशन के लिए भाग 51 के अधीन उपलब्ध

(धारा 51-नियम 70)

आवेदक का नाम और पता _____

उस अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता जिसकी बाबत आवेदन किया गया है _____

अभिन्यास डिजाइन सं. (ऊपर निर्दिष्ट है) _____

गोप के लिए

क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या मेरी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिन्यास डिजाइन के उप

अनुज्ञा मांगी गई है _____

व्यक्ति का नाम और पता

यदि सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के लिए अनुज्ञा मांगी गई है, तो ऐसे _____

हस्ताक्षर

सत्यापन

आवे

आधार पर,

अंतर्वस्तु

तारीख

मैं, ऊपर निर्दिष्ट आवेदक, सत्यापित करता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास/सरकारी अभिलेख के _____ आधारों की अंतर्वस्तु सही है। तथा _____ आधारों की मुझे दी गई विधिक सलाह पर आधारित है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। _____ आज _____ मास 20 _____ 20 को सत्यापित।

हस्ताक्षर

आवेदक के

1. जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

अभिन्यास डिजाइन सं. _____ के मामले में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम _____ रजिस्टर में यथाप्रविष्ट पता _____

0) या 3,4 से

मैं/हमें 1 _____ जो 2 सरकार द्वारा प्राधिकृत हूँ/हैं, निम्नलिखित आधार (आधार) उपर्युक्त अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के लिए सूचना दे रहा हूँ/रहे हैं;

लिए

(क) वाणिज्यकेतर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए

(ख) राष्ट्रीय आपात या अत्यंत सार्वजनिक अत्यावश्यकता से संबंधित प्रयोजनों के

युक्त अभिन्यास डिजाइन के उपयोग

मैं/हम 1 _____ निम्नलिखित आधार (आधारों) पर 3 उप के लिए सूचना दे रहा हूँ/रहे हैं।

व्यवस्था के उपचार के लिए

प्रतियोगिता विरोधी व

निबंधनों और शर्तों पर अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के साथ करार करने का प्रयास—
सफल 5 नहीं हुए हैं ।

मैंने/हमने युक्तियुक्त
किया है और ऐसे प्रयासों में स

आज तारीख _____ मास 20 _____ ।

हस्ताक्षर _____

अपील बोर्ड,

सेवा में,

अभिन्यास डिजाइन

राष्ट्रीयता लिखें ।

के ब्यौरे और सबूत दें ।

काट दें ।

।

जिनके अंतर्गत पत्राचार की प्रतियाँ शामिल हैं ब्यौरा दें ।

काट दें ।

प्ररूप अ.डि.-35

ल बोर्ड के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को आवेदन
(धारा 53 (1) नियम 91)

अपी

सं. _____ के मामले में, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम
रजिस्टर में यथाप्रविष्ट पता _____

अभिन्यास डिजाइन

री

_____ अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड सं. के विनिश्चय/आदेश
_____ के विरुद्ध, प्रस्तुत करता हूँ /करते हैं।

मैं/हमें

तारीख _____

2000

हस्ताक्षर _____

अपील के आधार नमावत हूँ/हमें _____

आज तारीख _____

मास _____

सेवा में,

रजिस्ट्रार

स्थित उच्च न्याय

ालय²

1. जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. समचित उच्च न्यायालय के स्थान का नाम लिखें ।

प्ररूप अ.डि.अ. -1

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

(नियम 97)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 के नियम 95 के खण्ड (I),
अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है।
से चरित्र प्रमाणपत्र इससे संलग्न है।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 के नियम 95 के खण्ड (I),
(ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में बंटाई गई किसी नियोग्यता से ग्रस्त नहीं हूँ और यह कि नीचे दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान
और विश्वास के अनुसार सही है।

1. जिसके प्रारम्भ में उपनाम यदि कोई हो, पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____

निवास स्थान का पता _____

2.

3. कारबार का मुख्य स्थान _____

4. पिता का नाम _____

5. राष्ट्रिकता _____

6. जन्म की तारीख और स्थान _____

7. उपजीविका पूर्ण रूप से _____

8. अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की विशिष्टियाँ _____

9. क्या किसी समय अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाया गया है और यदि हाँ, तो (इस प्रकार हटाए जाने
का कारण) _____

हस्ताक्षर _____

सेवा में,

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ
अभिन्यास डिजाइन
अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास
डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

_____ में रजिस्ट्री अभ्यर्थी के चरित्र को प्रमाणित करने का वाला प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति से
होना चाहिए जो अभ्यर्थी का नातेदार न हो तथा जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या उस जिले का मुख्य प्रशासनिक
अधिकारी हो। जहाँ अभ्यर्थी पण्डित रूप में निवास करता है या किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है, तब तो रजिस्ट्रार या उसके सहायक

प्ररूप अ.डि.अ-2

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के पुनः स्थापन के लिए आवेदन पत्र

(नियम 103)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

में _____ (नाम और पता) जो _____ का हूँ

इसके द्वारा अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में, आवेदन जिसमें मेरा नाम _____ संख्या के अधीन प्रविष्ट किया गया था आवेदन कर रहा हूँ कि मेरा नाम पुनः स्थापित किया जाए।

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2001 के नियम 101 (1) के खण्ड (ख) के अधीन हटाया गया था।

आज तारीख

मास

20

हस्ताक्षर _____

सेवा में,

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास, डिजाइन के रजिस्ट्रार,

स्थित अर्द्धचालक एकीकृत

परिपथ अभिन्यास डिजाइन का कार्यालय

लिखें। नियम 4 देखिए।

1. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें।

प्ररूप अ.डि.अ.-3

अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र

(नियम 104)

(तीन प्रतियों में भरा जाए)

_____ (नाम और पता) जो _____ का हूँ।

क रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता हूँ (जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. _____ है) इसके होने के तद्वारा अनुरोध करता हूँ कि अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्टर में प्रविष्टि किया गया मेरा नाम, निवास स्थान का पता, या के मुख्य स्थान का पता या मेरी अर्हता में नीचे दिए अनुसार परिवर्तन किया जाए:-

मास _____ 20 _____

आज तारीख _____

हस्ताक्षर _____

सेवा में,

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास,

स्थित अर्द्धचालक एकीकृत

का कार्यालय

परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

1. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।
2. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें। नियम 4 देखिए।

1. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।
2. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम लिखें। नियम 4 देखिए।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप की सूची

सेवा में

प्ररूप शा.अ.डि-2

भारत सरकार

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

(धारा 13(2) नियम 46(1))

अभिन्यास डिजाइन सं.....तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभिन्यास डिजाइन 1....., जिसका एक रेखाचित्र/फोटो (पूर्णतः अथवा खण्डतः)
 इससे उपर्युक्त है..... के नाम में रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकृत किया गया

आज्ञा तारीख.....

मास.....

को गे निर्देश पर प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष के लिए है।

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्रीकरण इसमें ऊपर प्रथम उल्लिखित तारीख से 10

टिप्पण अभिन्यास

इस प्रमाणपत्र का उपयोग विधिक कार्यवाही या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं है।

डिजाइन के स्वामित्व में या कारखाने के माल के पते में या भारत में तामोल के पते में कोई परिवर्तन होने पर आवेदक को
 परिवर्तन तुरंत रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए।

1. अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्रार में यथाप्रविष्ट अभिन्यास डिजाइन का वर्णन।
2. जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप शा.अ. डि-3

नियम 73 के अधीन अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड को सूचना

(धारा 40(3), नियम 73(2))

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2001 की धारा 40(3) द्वारा अपेक्षित है, सूचना दी जाती है
 कि.....ने इस अपील बोर्ड के समक्ष एक आवेदन फाइल किया है, जिसकी एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।
 आप इस सूचना की आप पर तामोल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन
 नियम, 2001 की अनुसूची-11 में निर्दिष्ट प्ररूप अ.डि-28 में इस आवेदन पर अपना विरोध फाइल कर सकते हैं।

आवेदन इस अपील बोर्ड के समक्ष तारीख.....मास.....20.....का प्रस्तुत
 किया जाएगा।

अपील बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में

आवेदक का नाम

प्रारूप शा.अ.डि -4

भारत सरकार

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री
अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
(नियम 99)

संख्या.....

प्रमाणित किया जाता है कि के को अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन नियम, 2000 के नियम 99 के अन्तर्गत मास 20 को रजिस्ट्रि किया गया था।

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

प्रारूप शा.अ.डि -5

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन
रजिस्ट्री

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सूचना
(धारा 25(3) नियम 57)

अभिन्यास डिजाइन सं.....के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी तथा².....उसके प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता ने तारीख.....मास.....20.....को उक्त अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में उक्त प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और 2.....प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन-अधिनियम, 2000(2000-.....) की धारा 25 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है।

अतः यह सूचना के रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 25 की अन्तर्गत उक्त अभिन्यास डिजाइन के एक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को जारी की जाती है।

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

3 सेवा में

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम और पता
2. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का नाम और पता

3. वह पता, जिस पर सूचना भेजी जाती है

प्ररूप शा.अ.डि- 6

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री
रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए सूचना
(धारा 26(2) नियम 60)

सं.....

अभिन्यास डिजाइन सं.....तारीख.....

अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (2000) का 3(1) के धारा 26 के
अधीन अपेक्षित सूचना दी जाती है कि ने तारीख मास 20
उक्त अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए नि
पर आवेदन फाइल किया है -

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

सेवा में,

* 4,5

1. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का पूरा नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की तारीख
3. आवेदक का नाम और पता
4. स्वत्वधारी का नाम और पता
5. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का नाम और पता

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप शा.अ.डि- 7

अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

रजिस्टर के परिशोधन/शुद्धि के लिए सूचना

(धारा 30 (4) नियम 66)

अभिन्यास डिजाइन सं.....तारीख.....

सं.....

जैसा अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 30(4) के अधीन अपेक्षित है, सूचना दी जाती है कि पूर्वोक्त अभिन्यास डिजाइन की बाबत रजिस्टर में निम्नलिखित परिशोधन/शुद्धि की जाएगी :

1.
2.

हस्ताक्षर

सेवा में,

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन

1. रजिस्टर में किए जाने वाले परिशोधन/शुद्धि के ब्यौरे
2. अपील बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप शा.अ.डि -8

भारत सरकार

अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

अभिन्यास डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण या समन्वयन या उसके परोक्ष को रह करने के लिए सूचना

(धारा 41 नियम 69(1))

जैसा अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 41(2) द्वारा अपेक्षित है, सूचना दी जाती है किने अपील बोर्ड के समक्ष एक आवेदन फाइल किया है जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है । आप उस तारीख से जिसको यह सूचना आप पर तामील की जाती है, तीस दिन के भीतर आवेदन का उत्तर, यदि कोई है, फाइल कर सकते हैं ।

आवेदन अपील बोर्ड के समक्ष तारीख.....मास.....20.....को प्रस्तुत किया जाएगा ।

.....अपील बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

2 सेवा में,.....

1. आवेदक का नाम
2. विरोधी पक्षकार का नाम और पता

प्ररूप शा.अ.डि -9

अभिन्यास डिजाइन अपील बोर्ड

रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिजाइन के उपयोग की अनुज्ञा देने वाले विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए सूचना

(धारा 51- (3) नियम 72(2))

सं.

अभिन्यास डिजाइन संख्या.....के उपयोग की अनुज्ञा देने वाले विनिश्चय के पुनर्विलोकन की बाबत जैसा अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37) के अधीन अपेक्षित है, निम्नलिखित आधार पर सूचना दी जाती है, अर्थात्

इस मामले में बहस तारीख.....मास.....20.....को सुनी जाएगी ।

1.....

में,

सेट

2.....

अपील बोर्ड से एपिडिज अभिलेखी से दस्तावेज

2 अपील बोर्ड द्वारा अभिन्यास डिजाइन के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता

1